"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 106] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 मई 2005—ज्येष्ठ 10, शक 1927

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिविल लाईन, जी. ई. रोड, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मई 2005

पुनरीक्षित विनियम

क्रमांक 1/सी.एस.ई.आर.सी./2004.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का क्रमांक 36) की धारा 181 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, उसे उक्त अधिनियम में सौंपे गये कार्य के सम्पादन हेतु निम्नानुसार कार्यसंचालन विनियम बनाता है ।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2004

अध्याय – I
सामान्य

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्वचन

(1) इन विनियमों को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2004 कहा जाएगा।

(2) इनका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।

(3) ये छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

(1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(ए) "मंडल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल।

(बी) "केन्द्रीय अधिनियम" से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2003 का कमांक 36)।

(सी) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष।

(डी) "आयोग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग।

(ई) "सदस्य" से अभिप्रेत है आयोग का सदस्य जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है।

(एफ) "अधिकारी" से अभिप्रेत है आयोग का कोई अधिकारी।

(जी) 'याचिका' से अभिप्रेत है, और इसमें शामिल हैं समस्त याचिकाएं, आवेदन, शिकायतें, अपीलें, उत्तर, प्रत्युत्तर एवं अनुपूरक अभिवचन।

(एच) 'कार्यवाहियों' से अभिप्रेत है समस्त प्रकार की कार्यवाहियॉं, जिन्हें आयोग केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु प्रारम्भ करने, अथवा धारण करने का विनिश्चय करे किन्तु इसमें ऐसी कोई प्रारंभिक बैठक या कोई अन्य कार्य शामिल नहीं होगा जो कि इस प्रकार की कार्यवाही के प्रारम्भ करने के पूर्व किया गया हो।

(आई) 'प्राप्तकर्ता अधिकारी' से अभिप्रेत है आयोग द्वारा याचिकाओं को प्राप्त करने हेतु नामनिर्दिष्ट अधिकारी।

(जे) "सचिव" से अभिप्रेत है आयोग का सचिव।

(के) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का, जो इसमें ऊपर परिभाषित नहीं किये गये हैं, वही अर्थ होगा जैसा कि केन्द्रीय अधिनियम में है।.

3. आयोग का कार्यालय, कार्यालय समय तथा बैठकें

(1) आयोग के कार्यालय (कार्यालयों) का स्थान वह होगा जो आयोग समय–समय पर तत्संबंधी आदेश के द्वारा, विनिश्चित करें।

(2) जब तक अन्यथा निदेशित न किया जावे, आयोग का मुख्यालय एवं अन्य कार्यालय, प्रत्येक माह के दूसरे और तीसरे शनिवार, रविवार एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अवकाशों को छोड़कर, प्रतिदिन खुले रहेंगे।

(3) आयोग का मुख्यालय एवं अन्य कार्यालय ऐसे समयों पर खुलेंगे जैसा कि आयोग निर्देशित करें।

(4) मामलों की सुनवाई हेतु,आयोग मुख्यालय पर, अथवा किसी अन्य स्थान पर, उसके द्वारा विनिश्चित दिन एवं समय पर बैठकें कर सकेगा।

(5) यदि किसी कार्य को करने का अंतिम दिन ऐसा दिन हो जिस दिन आयोग का कार्यालय बंद हो और इस कारण से उस दिन वह कार्य सम्पन्न नहीं किया जा सका हो तो वह कार्य उस अगले दिन किया जा सकेगा जिस दिन आयोग का कार्यालय खुला हो।

4. आयोग की भाषा

(1) आयोग की कार्यवाहियॉं हिन्दी अथवा अंग्रेजी में संचालित की जावेगी।

(2) आयोग द्वारा हिन्दी अथवा अंग्रेजी से भिन्न अन्य किसी भाषा में कोई भी याचिका, दस्तावेज अथवा अन्य सामग्री तब तक स्वीकार नहीं की जावेगी जब तक कि उसके साथ उसका हिन्दी अथवा अंग्रेजी अनुवाद संलग्न न किया जाए।

(3) कोई अनुवाद, जिस पर कार्यवाही के पक्षकारों की सहमति हो ,अथवा जिसे किसी भी एक पक्षकार ने हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदत्त प्रमाणिकता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया हो, आयोग द्वारा सही अनुवाद के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा।

5. आयोग की मुद्रा

(1) आयोग की एक पृथक मुद्रा होगी।

(2) आयोग द्वारा जारी किये गये प्रत्येक आदेश, निर्णय या संव्यवहार, सूचना या प्रमाणित प्रतिलिपि पर आयोग की मुद्रा अंकित की जावेगी तथा उसे सचिव अथवा इस हेतु आयोग द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जावेगा।

6. आयोग के अधिकारी

(1) आयोग, अपने विभिन्न कृत्यों के निर्वहन हेतु, सचिव एवं अन्य ऐसे अधिकारियों, जो आवश्यक हों, की नियुक्ति कर सकेगा। सचिव, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें वैसी होंगी, जैसी आयोग द्वारा अधिसूचित की जावे।

(2) आयोग का सचिव, ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे इन विनियमों द्वारा या अन्यथा आयोग द्वारा या अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये हों।

(3) ऊपर उपखण्ड (1) के सामान्य प्रावधानों को प्रभावित किये बिना सचिव निम्नलिखित विशिष्ट कृत्यों का निर्वहन करेगा–

(i) वह आयोग से संबंधित समस्त याचिकाओं, अन्य आवेदनों अथवा संदर्भों को प्राप्त करेगा अथवा प्राप्त करवाएगा,

(ii) वह आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त ऐसे आवेदनों का सार और संक्षेपिकाएं तैयार करेगा या करवाएगा,

(iii) वह आयोग द्वारा संचालित कार्यवाहियों में उसे सहयोग करेगा,

(iv) वह आयोग द्वारा पारित किए आदेशों को अभिप्रमाणित करेगा,

(v) वह आयोग द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, एवं

(vi) उसे, आयोग के कृत्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु उपयोगी समझी जाने वाली जानकारी को राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार एवं उनकी एजेन्सियों, राज्य विद्युत मंडल एवं उसकी उत्तराधिकारी इकाईयों या अन्य कार्यालयों, कम्पनियों एवं फर्मों या किसी व्यक्ति से, जैसा कि आयोग का निदेश हो, एकत्रित करने का अधिकार होगा।

(4) सचिव, आयोग की मुद्रा एवं अभिलेख अपनी अभिरक्षा में रखेगा।

(5) सचिव, आयोग के अनुमोदन से, आयोग के किसी अन्य अधिकारी को, इन विनियमों द्वारा या अन्यथा उसके द्वारा प्रयुक्त किये जाने हेतु अपेक्षित किसी कार्य को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(6) सचिव की अनुपस्थिति में, आयोग का ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे अध्यक्ष द्वारा इस हेतु नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, सचिव के कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा।

(7) आयोग किसी हितबद्ध या प्रभावित पक्षकार के आवेदन पर, या स्वप्रेरणा से, यदि ऐसा करना वह उचित समझे, सचिव या आयोग के अन्य अधिकारियों द्वारा किए गए किसी भी आदेश या की गई किसी कार्यवाही का पुनर्विलोकन, प्रतिसंहरण, परिशोधन, रूपांतरण, संशोधन, परिवर्तन या अन्यथा बदलाव कर सकेगा।

(8) केन्द्रीय अधिनियम की धारा 97 के उपबंधों के अध्यधीन, आयोग अपने अधिकारियों को, ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर, जिन्हें आयोग उपयुक्त

समझे, किन्ही कार्यों, जिनमें सचिव द्वारा निर्वहित कृत्य भी शामिल है, को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

अध्याय–II
आयोग के समक्ष की जाने वाली कार्यवाहियों से संबंधित सामान्य नियम

7. आयोग के समक्ष कार्यवाही

(1) (ए) आयोग, समय–समय पर ऐसी कार्यवाहियां, बैठकें, विचार विमर्श, परामर्श, जांच और अनुसंधान कर सकेगा जैसा, वह केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे।

(बी) केन्द्रीय अधिनियम के उपबंध, उसके अधीन बने नियमों एवं विनियमों के अध्यधीन आयोग की बैठक हेतु दो का कोरम होगा, किन्तु आयोग, लिखित आदेश द्वारा ऐसे मामलों को निर्धारित कर सकेगा जिनकी सुनवाई एक सदस्य द्वारा की जा सकेगी।

(सी) आयोग, केन्द्रीय अधिनियम की धारा 143 अथवा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की उपधारा 27 के अधीन अपने किसी सदस्य को न्याय निर्णयन अधिकारी के रूप में लिखित आदेश के द्वारा नियुक्त कर सकेगा।

(2) आयोग किसी अधिकारी, या अन्य व्यक्ति को, जिसे वह उचित समझे, अपने समक्ष कार्यवाहियों में भाग लेने और कार्यवाहियों में अपनी सहायता करने हेतु नियुक्त कर सकेगा।

(3) ऐसे समस्त विषय, जिन्हें केन्द्रीय अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा सुनवाई के माध्यम से लिया जाना एवं निपटाना अपेक्षित हो, उक्त अधिनियम एवं उन विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से सुनवाई के द्वारा ही निपटाये जायेंगे।

(4) जब तक आयोग द्वारा, लिखित कारणों से, अन्यथा, निदेशित न किया गया हो, ऐसे समस्त विषय, जो अनुज्ञप्तिधारी या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के अधिकारों एवं हितों को प्रभावित करते हों, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से सुनवाई हेतु लिये जायेंगे व निपटाये जायेंगे।

(5) आयोग, ऊपर उप विनियमों (3) एवं (4) में विनिर्दिष्ट से भिन्न विषयों पर भी सुनवाई कर सकेगा यदि वह ऐसा करना उचित समझे।

(6) आयोग, किसी मामले की कार्यवाही शुरू करने के विनिश्चय के पूर्व, पक्षकारों में से एक या अधिक से विचार–विमर्श कर सकेगा।

8. आयोग के समक्ष प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होंगे

(1) कोई व्यक्ति, आयोग के समक्ष, स्वयं उपस्थित हो सकेगा या किसी अन्य व्यक्ति को, अपनी ओर से उपस्थित होकर कार्यवाही करने या पैरवी करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, आयोग द्वारा, समय–समय पर प्रतिनिधित्व किये जाने हेतु, निदेशित किये जाने पर, अपनी ओर से कार्यवाही करने एवं पैरवी करने हेतु, किसी अधिवक्ता या विधिक व्यवसाय करने वाली संस्था के किसी सदस्य, जो विधिक व्यवसाय हेतु प्रमाण पत्र धारित करता हो, को प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) आयोग, समय–समय पर, ऐसी शर्तों और निबंधनों को निर्धारित कर सकेगा, जिनके अध्यधीन कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति को उसका प्रतिनिधित्व और पैरवी करने और वकालत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए आयोग में प्रस्तुत किये जाने वाले अधिकार पत्र का प्रकार भी विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(4) ऊपर दिए गए प्रावधानों के होते हुए भी, आयोग, किसी उपभोक्ता समूह अथवा संस्था जो विनियम 47 (क) के अधीन मान्यता प्राप्त हो, अथवा किन्हीं व्यक्तियों को, जो ऐसे उपभोक्ता समूह अथवा संस्था द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किए गए हों, आयोग के समक्ष किसी कार्यवाहियों में अथवा कार्यवाही प्रारंभ किए जाने से पूर्व किसी बैठक में, जैसा आयोग उचित समझे, उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

9. कार्यवाहियों का प्रारम्भ :

(1) आयोग स्वविवेक से, या किसी प्रभावित या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा, प्रस्तुत याचिका के आधार पर कार्यवाही प्रारम्भ कर सकेगा।

(2) आयोग की कार्यवाही का प्रारम्भ, आयोग के कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र द्वारा होगा। आयोग, द्वारा प्रभावित या हितबद्ध पक्षकारों को सूचना की तामीली हेतु और याचिका के विरोध या समर्थन में उत्तर और प्रत्युतर प्रस्तुत करने एवं ऐसे प्रारूप में करने हेतु आदेश और निर्देश दे सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(3) आयोग, यदि वह ऐसा करना उचित समझे, याचिका को समाचार पत्र या माध्यमों से प्रचारित कर, उसमें शामिल मुद्दों पर, उस प्रारूप में, जैसा कि वह निर्देश दे, टिप्पणियाँ आमंत्रित कर सकेगा।

(4) स्वविवेक से की जाने वाली कार्यवाहियों एवं अन्य समुचित प्रकरणों में नोटिस जारी करते समय, आयोग, किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को याचिकाकर्ता की हैसियत से विषय वस्तु प्रस्तुत करने हेतु नामांकित कर सकता है।

10. आयोग के समक्ष याचिकाएँ :

(1) सभी याचिकाओं में तथ्यों के स्पष्ट एवं संक्षिप्त विवरण के साथ तथ्यात्मक विशिष्टियां, चाहा गया अनुतोष, लागू विधि के उपबंध और ऐसे अनुतोष के आधार, अंतर्विष्ट होंगे।

(2) आयोग के समक्ष प्रस्तुत सभी याचिकाएं सफेद कागज पर टंकित, सायक्लोस्टाईलड अथवा स्वच्छ तथा पढ़े जाने योग्य मुद्रित होगी और सभी पृष्ठ क्रम से संख्यांकित किये जाएंगे। याचिका छह प्रतियों या जैसा आयोग निर्देश दे उतनी प्रतियों सहित प्रस्तुत की जावेगी और ऐसी समस्त प्रतियां सभी प्रकार से पूर्ण होंगी। आयोग प्रस्तुत की जाने वाली याचिका के अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक प्रारूप में प्रतियां, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसी कि आयोग विनिर्दिष्ट करे, मांग सकेगा।

(3) याचिका की विषयवस्तु उचित रूप से क्रमवार संख्यांकित कंडिकाओं में विभाजित की जावेगी।

(4) याचिका के साथ ऐसे दस्तावेज, सहायक आंकड़े एवं विवरण संलग्न किये जावेंगे जो बादग्रस्त विषय से सुसंगत हो।

(5) आयोग द्वारा नियत शुल्क, यदि कोई हो, तो उसका भुगतान याचिका प्रस्तुत करते समय या उससे पूर्व किया जावेगा।

11. सामान्य शीर्षक :

आयोग के समक्ष सभी याचिकाओं और सभी विज्ञापनों और नोटिस का सामान्य शीर्षक इन विनियमों के साथ संलग्न प्रारूप परिशिष्ट 1 में होगा।

12. समर्थन में शपथ–पत्र :

(1) दायर प्रत्येक याचिका शपथ–पत्र द्वारा सत्यापित की जाएंगी और शपथ–पत्र इन विनियमों के साथ संलग्न प्रारूप परिशिष्ट 2 में होगा।

(2) प्रत्येक शपथ–पत्र प्रथम पुरूष में लिखा जावेगा और उसमें शपथ लेने वाले व्यक्ति पूरा नाम, आयु, व्यवसाय, पता (इसमें इसके पश्चात शपथकर्ता कहा गया है) और वह हैसियत जिसमें वह हस्ताक्षर कर रहा होगा और वह विधिक रूप से शपथ–पत्र लेने और प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष हस्ताक्षर करेगा और शपथ लेगा।

(3) प्रत्येक शपथ पत्र में साफ तौर पर और विशिष्टतया निम्नलिखित तथ्यों का सत्य होना दर्शित किया जाएगा –

(i) शपथकर्ता की जानकारी, और/या
(ii) शपथकर्ता द्वारा प्राप्त सूचना, या
(iii) शपथकर्ता का विश्वास।

(4) जब किसी शपथ पत्र में किसी कथन को शपथकर्ता द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर सत्य पर आधारित कहा गया है, शपथ पत्र में सूचना के स्त्रोत का खुलासा भी किया जाएगा और यह तथ्य भी होगा कि शपथकर्ता को सूचना के सत्य होने का विश्वास है।

13. याचिकाओं का प्रस्तुतीकरण और छानबीन इत्यादि

(1) सभी याचिकाएं याचिकाकर्ता द्वारा या तो स्वयं या सम्यक् रूप से प्राधिकृत एजेण्ट या प्रतिनिधि द्वारा, प्राप्तिकर्ता अधिकारी को मुख्यालय पर अथवा ऐसे अन्य स्थान/स्थानों पर ऐसी समयावधि में जैसे कि आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किये जाएं, प्रस्तुत की जाएंगी। याचिकाएं उपरोक्त उल्लेखित स्थानों पर पंजीकृत डाक से अभिस्वीकृति कार्ड सहित भी भेजी जा सकेगी।

(2) याचिका के साथ अधिवक्ता के पक्ष में जारी वकालतनामा और, यदि याचिका प्राधिकृत एजेन्ट या प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत की जाये, तो उस स्थिति में एजेन्ट या प्रतिनिधि को प्राधिकृत करने संबंधी दस्तावेज संलग्न होना चाहिए।

(3) याचिका प्रस्तुत किए जाने और प्राप्ति को, आयोग के कार्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए संधारित पंजी में विधिवत प्रविष्ट किया जावेगा।

(4) याचिका प्राप्त होने पर प्राप्तिकर्ता अधिकारी मुहर लगाकर और वह तिथि जिसको याचिका प्रस्तुत की गई है पृष्ठांकित करके प्राप्ति की अभि–स्वीकृति देगा और याचिका प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को मुहर और तारीख के साथ अभि–स्वीकृति जारी करेगा। यदि याचिका पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त होती है तो वह तारीख जिसको आयोग के कार्यालय में वस्तुतः याचिका प्राप्त होती है, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि मानी जावेगी।

(5) प्राप्तिकर्ता अधिकारी किसी याचिका, जो केन्द्रीय अधिनियम या, इन विनियमों अथवा आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप न हो अथवा अन्यथा दोषपूर्ण हो अथवा जिसे आयोग के विनियमों या निर्देशों के अनुरूप प्रस्तुत न किया गया हो, को स्वीकार करने से मना कर सकेगा:

परंतु, फिर भी, कोइ याचिका अभिवचन या उसके प्रस्तुतिकरण में किसी दोष के कारण तबतक अस्वीकृत नही की जा सकेगी, जब तक कि प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को निश्चित समयावधि के भीतर दोष दूर करने का अवसर प्रदान नही किया जाता। प्राप्तकर्ता अधिकारी सलाह लिखित रूप में, याचिका प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को देकर, उसे याचिका के दोषों और उस समयावधि से, जिसके भीतर दोषों का निवारण करना है, अवगत करायेगा।

(6) याचिका के प्रस्तुत किए जाने अथवा प्राप्त किए जाने के बारे में प्राप्तिकर्ता अधिकारी के आदेश से व्यथित व्यक्ति मामले को समुचित आदेश के लिए सचिव के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की प्रार्थना कर सकेगा।

(7) अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य को किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका को किसी भी समय मंगाने और याचिका प्रस्तुत करने और स्वीकृत करने के संबंध में ऐसे निदेश देने का अधिकार होगा जैसा वह उचित समझे।

(8) यदि छानबीन करते समय, याचिका अस्वीकार नहीं की जाती है या अस्वीकार किये जाने संबंधी आदेश, सचिव द्वारा या अध्यक्ष द्वारा या ऐसे प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट सदस्य द्वारा, संशोधित कर दिया जाता है, तब याचिका आयोग द्वारा निदेशित रीति में विधिवत पंजीबद्ध की जावेगी तथा उसे एक संख्या प्रदान की जावेगी।

(9) जैसे ही याचिका और समस्त आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिएं जाते हैं और उनमें रह गए दोष और आपत्तियां, यदि कोई हो, दूर कर दी जाती है और याचिका की छानबीन कर उसे स्वीकृत और क्रमांकित कर दिया जाता है तो याचिका प्रारंभिक विचारार्थ आयोग के समक्ष रखी जावेगी।

परन्तु, ऐसे मामलों में जब याचिका उपभोक्ताओं द्वारा या उपभोक्ताओं के समूह द्वारा अथवा किसी उपभोक्ताओं के संगठन द्वारा प्रस्तुत की जाती है, उनमें आयोग का सचिव, केन्द्रीय अधिनियम की धारा 42 (5) में निहित शर्तों के अधीन उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के प्रयोजन हेतु गठित फोरम को मामला संदर्भित कर सकता है ।

(10) आयोग, याचिका प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की उपस्थिति के बिना भी याचिका को सुनवाई के लिए ग्राह्य कर सकता है। क़िन्तु आयोग संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना ग्राह्यता से इंकार करने हेतु आदेश पारित नहीं करेगा। आयोग यदि उपयुक्त समझें, ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को भी जिन्हें वह याचिका ग्राह्य करने के लिए सुनने की अपेक्षा करें, सूचना जारी कर सकेगा।

(11) यदि आयोग याचिका ग्राह्य करता है तो वह उत्तरदाताओं एवं अन्य प्रभावित या हितबद्ध पक्षकारों को याचिका के समर्थन या विरोध में उत्तर या प्रत्युत्तर आयोग द्वारा निदेशित ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करने हेतु नोटिस तामिली के लिए ऐसा आदेश या निदेश जारी कर सकेगा जो वह उचित समझे।

14. आयोग द्वारा जारी सूचना और आदेशिकाओं की तामील –

(1) आयोग द्वारा जारी की जाने वाली सूचना या आदेशिका की तामील निम्नलिखित एक या एकाधिक प्रकार से जैसा कि आयोग द्वारा निर्देशित किया जाए, की जा सकेगी –

(i) याचिकाकर्ता या कार्यवाहियों के किसी पक्षकार द्वारा तामीली,

(ii) संदेशवाहक द्वारा हाथ में सौंप कर,

(iii) अभि–स्वीकृति पत्र सहित पंजीकृत डाक द्वारा,

(iv) ऐसे मामलों में जहां आयोग संतुष्ट है कि ऊपर (एक) से (तीन) में उल्लिखित तरीकों से सूचना, आदेशिका आदि की तामील, किसी व्यक्ति पर करना युक्तियुक्त रूप से व्यावहारिक नहीं है, वहां समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा।

(v) कूरियर सेवा द्वारा

vi फैक्स या ई–मेल द्वारा, और,

vii तामीली के अन्य ऐसे तरीकों द्वारा, जैसा कि आयोग समय–समय पर विनिश्चत करे।

(2) प्रत्येक सूचना या आदेशिका जिसकी किसी व्यक्ति पर तामील की जाना या सौंपना अपेक्षित हो उस व्यक्ति द्वारा तामीली हेतु दिए गए पते पर उसी व्यक्ति को या उसके अभिकर्ता (एजेंट) को, जो कि तामील प्राप्त करने के लिए अधिकृत है अथवा उस स्थान पर जहां वह व्यक्ति या उसका अभिकर्ता सामान्यतः रहता है या व्यापार करता है या व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करता है, भेज कर की जा सकेगी।

(3) ऐसी स्थिति में जब कोई प्रकरण आयोग के समक्ष लंबित है तथा जिस व्यक्ति को सूचना भेजा जाना है, उसने उपस्थित होने के लिए या प्रतिनिधित्व करने हेतु किसी अभिकर्ता या प्रतिनिधि को प्राधिकृत कर दिया है, तो ऐसा अभिकर्ता या प्रतिनिधि सभी मामलों में उस व्यक्ति की ओर से सूचना तथा आदेशिका स्वीकार करने के लिए विधिवत प्राधिकृत माना जावेगा तथा प्रतिनिधि को सौंपा गया सम्मन एवं आदेशिका उसी व्यक्ति को सम्यक्‌रूप से सौंपा हुआ माना जावेगा जिसे सौंपा जाना था। यह ऐसे अभिकर्ता या प्रतिनिधि का कर्तव्य होगा कि वह उस व्यक्ति को जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, सूचना के तामील होने की विधिवत जानकारी दे।

(4) जब कार्यवाही के किसी पक्ष द्वारा व्यक्तिशः या पंजीबद्ध डाक से सूचना अथवा आदेशिका की तामील की गई हो तो उस पक्ष को आयोग के समक्ष सूचनाएं या आदेशिकाएं की तामील होने के दिनांक और तरीकों के ब्यौरों, ऐसी तामील के प्रमाण सहित एक शपथ पत्र देना होगा।

(5) जब किसी याचिका का समाचार पत्रों में प्रकशित किया जाना अपेक्षित है, तब वह ऐसे समय के भीतर जैसा आयोग निदेश दे और जब तक

आयोग अन्यथा निदेश न दे, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए क्षेत्रों में प्रसारित अंग्रेजी भाषा और हिन्दी भाषा के दैनिक समाचार पत्रों में, से प्रत्येक भाषा के कम से कम एक संस्करण में पकाशित की जायेगी।

(6) ऐसे प्रत्येक मामले में आयोग को यह तय करने का अधिकार होगा कि ऐसे तामील या प्रकाशनों का व्यय कौन व्यक्ति वहन करेगा।

(7) केन्द्रीय अधिनियम या इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय और आयोग या सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अधीन, याचिकाकर्ता, प्राथी या आयोग द्वारा जबावदेह बनाया गया अन्य कोई भी व्यक्ति, जिसे आयोग निर्देश दें , समस्त सूचना पत्रों, सम्मनों तथा दूसरी आदेशिकाओं को भेजे जाने की तथा संबंधित पक्षों को तामील किये जाने वाली सूचनाओं और आदेशिकाओं के विज्ञापन व प्रकाशन की व्यवस्था करेगा।

(8) नोटिस, सम्मन या आदेशिकाओं की तामील अथवा विज्ञापन तथा प्रकाशन के संबंध में आयोग के निर्देशों या विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन में चूक होने पर, आयोग या तो याचिका को निरस्त कर सकता है या ऐसे अन्य या अतिरिक्त निर्देश दे सकता है, जो उसे उपयुक्त लगें।

(9) कोई तामील या प्रकाशन, जो किया जाना आवश्यक हो, संबंधित व्यक्ति के नाम या ब्यौरे में रह गई किसी त्रुटि के कारण अवैध नहीं माना जाएगा, यदि आयोग इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी तामील अन्य सभी दृष्टियों से पर्याप्त है।

(10) कोई कार्यवाही किसी तामीली की त्रुटि या अनियमितता के कारण अवैध करार नहीं की जाएगी, जब तक कि आयोग उठाई गई आपत्ति के संदर्भ में, यह राय नहीं बना लेता, कि उस त्रुटि या अनियमितता या प्रकाशन के कारण अन्याय हुआ है या ऐसा करने का अन्यथा पर्याप्त कारण है।

15. उत्तरों, विरोधों, आपत्तियों, इत्यादि को प्रस्तुत करना

(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसे जांच या याचिका के बारे में सूचना–पत्र जारी किया गया हो (जिसे आगे 'प्रतिवादी' कहा गया है) अपना उत्तर उन दस्तावेजों सहित, जिन पर वह आधारित है, उतनी संख्या में प्रतिलिपियों सहित तथा उस समय सीमा में प्रस्तुत करेगा जितनी आयोग द्वारा निदेशित की जावे।

(2) अपने उत्तर में उत्तरदाता जांच के लिए जारी सूचना–पत्र अथवा याचिका में उल्लिखित तथ्यों के बारे में विशिष्ट रूप से स्वीकृति, अस्वीकृति या स्पष्टीकरण देगा तथा ऐसे अतिरिक्त तथ्य भी प्रस्तुत कर सकेगा, जिन्हें वह मामले के सही निर्णय के लिए आवश्यक समझता है।

(3) उत्तर उसी तरह से हस्ताक्षरित एवं सत्यापित एवं शपथ–पत्र से समर्थित होगा, जिस तरह याचिका में किया जाता है। प्रतिवादी उत्तर में यह भी उपदर्शित करेगा कि क्या वह कार्यवाहियों में भाग लेना चाहता है और उसे मौखिक रूप से सुना जावे।

(4) प्रतिवादी, उत्तर की प्रति, दस्तावेजों की सम्यक् रूप से प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियों सहित, याचिकाकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को तामील करेगा तथा उत्तर प्रस्तुत करते समय आयोग के कार्यालय में ऐसी तामीली के प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

(5) प्रकरण के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए, जब कोई प्रतिवादी अतिरिक्त तथ्य अभिकथन करता है, तो उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तर के संदर्भ में याचिकाकर्ता को प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने में भी, उत्तर प्रस्तुत करने के लिए ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया, यथावश्यक परिवर्तित रूप में, लागू होगी।

(6) प्रत्येक व्यक्ति, जो आयोग के समक्ष लंबित मामले में किये गये प्रकाशन के अनुसरण में कोई आपत्ति या टिप्पणी प्रस्तुत करना चाहता है, उसे (उन व्यक्तियों को छोड़कर, जिन्हें उत्तर प्रस्तुत करने के लिए सूचना, आदेशिकाएं, इत्यादि जारी किये गये हैं) प्राप्तकर्ता अधिकारी को, आवश्यक दस्तावेज तथा प्रमाणों की प्रतिलिपियों सहित आपत्तियों या टिप्पणियों का अभिकथन, इस हेतु निर्धारित समय सीमा के भीतर, प्रस्तुत करना होगा।

(7) आयोग उचित समझने पर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को आयोग के समक्ष लंबित कार्यवाहियों में भाग लेने हेतु अनुमति दे सकता है यदि वह प्राप्तिकर्ता अधिकारी के प्रतिवेदन पर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की सहभागिता मामले और कार्यवाहियों के उचित निराकरण हेतु आवश्यक समझता है।

(8) जब तक आयोग द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार नहीं

होगा। तथापि आयोग ऐसी प्रस्तुत आपत्तियों और सुझावों को कार्यवाहियों से संबंद्ध पक्षकारों को उन पर सुनवाई हेतु अवसर देकर, विचार में ले सकेगा यदि आयोग ऐसा करना उचित समझे।

16. मामले की सुनवाई

(1) आयोग मामले की सुनवाई के अनुक्रम, रीति, स्थान, दिनांक तथा समय का निर्धारण कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे, जो केन्द्रीय अधिनियम में की गई समय की अपेक्षाओं से संगत हों, या अन्यथा मामले के त्वरित गति से निपटारें के लिए आवश्यक हो।

(2) आयोग, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर मामले का में निर्णय कर सकेगा या पक्षकारों से शपथ पत्र के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करने या अन्यथा मामले में मौखिक साक्ष्य देने के लिए कह सकेगा।

(3) यदि आयोग किसी पक्ष से शपथ पत्र पर साक्ष्य देने का निदेश करता है, तो आयोग दूसरे पक्ष को शपथ–पत्र के शपथकर्ता का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर प्रदान कर सकेगा।

(4) यदि आयोग को यह आवश्यक या युक्तियुक्त लगे तो वह पक्षकारों में से किसी का साक्ष्य किसी अधिकारी द्वारा या इस कार्य के लिए आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा अभिलिखित करवाने के निदेश दे सकेगा।

(5) आयोग पक्षकारों को उसके समक्ष किसी कार्यवाही में लिखित तर्क या निवेदन लिखित में जैसे आयोग उचित समझे, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगा।

17. साक्ष्य, जानकारी, इत्यादि तलब करने के आयोग के अधिकार

(1) किसी भी मामले में आदेश पारित करने के पूर्व आयोग पक्षकारों को या उनमें से किसी एक या एकाधिक पक्षकारों को या किसी अन्य व्यक्ति से, जिसे आयोग उपयुक्त समझता है, ऐसे दस्तावेज या अन्य सामग्री जैसे साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है, जिन्हें आयोग आदेश पारित करने के लिए आवश्यक समझता है।

(2) किसी मामले में यदि आयोग को यह सुसंगत लगता है तो आयोग गवाहों को तलब करने, साक्ष्य के लिए सहायक किन्हीं भी दस्तावेजों या वस्तुओं या प्रस्तुति योग्य अन्य सामग्री प्रस्तुत की खोज और उन्हें प्रस्तुत

करने के आदेश दे सकता है एवं किसी भी कार्यालय से लोक अभिलेख की मांग कर सकता है । आयोग अपने किसी अधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति की अभिरक्षा में या नियंत्रण वाली पुस्तकों, खातों या अन्य दस्तावेजों या जानकारियों की छानबीन कराने के आदेश दे सकता है।

(3) आयोग यदि उचित समझे, किसी पक्षकार को या उल्लेखित अन्यों को मामले में अतिरिक्त साक्ष्य, जैसा ऊपर विनियम (1) और (2) के अधीन साक्ष्य में अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजों के लिए देना आवश्यक हो, मंगा सकेगा।

(4) आयोग किसी भी समय किसी व्यक्ति को शपथ पर परीक्षण हेतु समंस या बल द्वारा उपस्थित करा सकता है।

(5) आयोग शपथ पत्र के माध्यम से साक्ष्य ले सकता है।

18. वादविषयों का अन्य को संदर्भ

(1) आयोग, कार्यवाहियों के किसी भी चरण में आयोग ऐसे किसी भी मुददे या मुददों को, जिन्हें वह उचित समझता है, अपने अधिकारियों एवं कंसलटेंट अथवा उन तक सीमित न होते हुए किन्हीं भी व्यक्तियों को, जिन्हें आयोग विशेषज्ञ–सलाह या अभिमत के लिए दक्ष समझता है, संदर्भित कर सकेगा।

(2) आयोग, समय–समय अपने अधिकारियों को एवं कंसलटेंट को अथवा उन तक सीमित न होकर किसी भी व्यक्ति को, इस बात के लिए नामनिर्दिष्ट कर सकता है कि वे किसी भी स्थान/ स्थानों का दौरा करके निरीक्षण करें तथा स्थान के अस्तित्व या स्थिति का और वहां उपलब्ध सुविधाओं का प्रतिवेदन देवें।

(3) यदि वह उपयुक्त समझता है तो आयोग, संबंधित पक्षकारों को या अन्यों को उपरोक्त उप विनियम (1) या (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के समक्ष उपस्थित होकर ऐसे व्यक्तियों को संबंधित मामलों या मुददों पर अपना अभिमत प्रस्तुत करने के लिए निदेशित कर सकता है।

(4) ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन या अभिमत प्रकरण के अभिलेख का एक अंग होगा और कार्यवाहियों के पक्षकारों को ऐसे प्रतिवेदन या अभिमत की प्रतियां आयोग द्वारा दी जा सकेगी। पक्षकारों को यह

अधिकार होगा कि वे प्रतिवेदन या अभिमत के विरोध या समर्थन में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सके ।

(5) आयोग ऊपर लिखित व्यक्ति के प्रतिवेदन या अभिमत पर तथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तरों पर मामले को विनिश्चय करते समय सम्यक्‌रूप से गौर करेगा और आवश्यक समझे जाने पर प्रतिवेदन या अभिमत देने वाले व्यक्ति का परीक्षण करेगा।

तथापि, ऊपर उपविनियमों के अधीन दी गई रिपोर्ट या अभिमत आयोग पर बंधनकारी नहीं होगा और आयोग ऐसा निर्णय लेने हेतु सक्षम होगा जैसा वह उचित समझे।

19. किसी पक्ष के उपस्थित न होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

(1) यदि किसी मामले की सुनवाई के लिए नियत तारीख या समय पर या स्थगित कर दिए जाने पर दी गई अन्य किसी तारीख या समय पर, सुनवाई के समय याचिकाकर्ता या कोई अन्य पक्षकार उपस्थित नहीं होता है, तो आयोग अपने स्वविवेक से या तो याचिकाकर्ता अथवा सुनवाई चाहने वाले पक्षकार के चूक के कारण याचिका को निरस्त कर सकता है या अनुपस्थित पक्ष के विरूद्ध उसकी अनुपस्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए याचिका की सुनवाई एवं निराकरण कर सकता है।

(2) कोई याचिका जब उपस्थिति में चूक के कारण निरस्त कर दी जाती है या एक पक्षीय निर्णित की जाती है तो व्यथित व्यक्ति यथास्थिति इस तरह निरस्त होने या एक पक्षीय कार्यवाही से 30 दिन के भीतर आदेश को वापिस लिए जाने हेतु आवेदन कर सकता है और आयोग ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझता हो, आदेश को वापिस ले सकता है, यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि याचिका की सुनवाई के समय व्यथित व्यक्ति के उपस्थित न हो सकने के लिये पर्याप्त कारण था।

20. आयोग के आदेश

(1) आयोग याचिका पर आदेश पारित करेगा और आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जिन्होंने मामले की सुनवाई की है, आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे।

(2) आदेश के समर्थन में आयोग द्वारा दिये गये कारण तथा असहमत सदस्य, यदि कोई हो तो, द्वारा दिये गये कारण आदेश का भाग होंगे

और इन विनियमों के अनुसार निरीक्षण हेतु और प्रतिलिपियों के प्रदाय हेतु उपलब्ध होंगे।

(3) आयोग को किसी भी कार्यवाही, सुनवाई या मामले के दौरान कोई भी ऐसा अंतरिम आदेश जो वह उचित समझे जारी करने का अधिकार होगा।

(4) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव अथवा अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किये जाएंगे और उन पर आयोग की मुद्रा अंकित होगी।

(5) आयोग द्वारा जारी किए गए सभी अंतिम आदेश कार्यवाही के पक्षकारों को, सचिव के हस्ताक्षर से अथवा, अध्यक्ष या सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से संसूचित किये जावेंगे।

21. **अभिलेखों का निरीक्षण और प्रमाणित प्रतियों का प्रदाय**

(1) कार्यवाहियों के अभिलेख, अधिकार के रूप में, ऐसे शुल्क के संदाय पर और ऐसी शर्तों, जैसी आयोग निदेश दे, के अनुपालन पर, कार्यवाहियों के दौरान, या आदेश पारित किए जाने के पश्चात, पक्षकारों के या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के, निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे।

(2) समस्त कार्यवाहियों के अभिलेख, केवल उन अंशों को छोड़कर जिनको आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कारणों से गोपनीय या विशेषाधिकृत समझा गया है, याचिका में शामिल पक्षों से भिन्न व्यक्तियों के निरीक्षण के लिये आयोग द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन रहते हुए, जिसमें निरीक्षण का समय, स्थान और रीति तथा शुल्क का संदाय सम्मिलित है, कार्यवाहियों के दौरान अथवा आदेशों के पारित होने के बाद, उपलब्ध रहेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, आयोग द्वारा दिये गये आदेशों, नियमों निर्देशों या उनके समर्थन में दिये गये कारणों, इसी प्रकार अभिवचनों, कागजातों या अभिलेखों के अन्य भागों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ, आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान करने और उस संबंध में आयोग द्वारा निर्देशित अन्य शर्तो के अनुपालन पर, प्राप्त करने का पात्र होगा।

अध्याय – III
विवादों की मध्यस्थता

22. मध्यस्थता

(1) केन्द्रीय अधिनियम के अधीन तथा आयोग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत् आने वाले विवादों का माध्यस्थम् आयोग द्वारा, विवाद के पक्षकारों में से किसी एक के द्वारा, आवेदन दिये जाने पर, प्रारंभ किया जा सकेगा।

(2) आयोग संबंधित पक्षकारों को यह कारण बताओं सूचना जारी करेगा कि क्यों न पक्षकारों के मध्य विवाद का निपटारा एवं न्याय निर्णय मध्यस्थता द्वारा किया जावे।

(3) उन पक्षकारों, जिन्हें सूचना जारी की गई थी, को सुनने के बाद तथा यह संतुष्टि होने पर कि माध्यस्थम हेतु निवेदन के विरूद्ध कोई कारण नही दर्शाया गया है, आयोग आदेश पारित कर निर्देशित कर सकेगा कि विवाद को मध्यस्थता द्वारा न्याय निर्णय एवं निपटारे हेतु या तो आयोग द्वारा या आयोग द्वारा नामांकित व्यक्ति या व्यक्तियों को सौंपा जावे।

(4) प्रत्येक माध्यस्थम् प्रकिया, माध्यस्थम् तथा सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार संचालित की जायेंगी ।

23. मध्यस्थ का नामांकन

(1) यदि आयोग द्वारा मामले को मध्यस्थता हेतु आयोग के अलावा अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को संदर्भित करने का विनिश्चय किया जाता है तो –

(ए) मामला एकल मध्यस्थ को संदर्भित किया जायेगा यदि विवाद से संबंधित पक्षकार एकल मध्यस्थ के नाम पर सहमत हो : या

(बी) यदि पक्षकार मध्यस्थ के नाम पर सहमत न हो तो मामला आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट एकल मध्यस्थ को या तीन मध्यस्थों को, जैसा कि आयोग विवाद की प्रकृति एवं मूल्य को दृष्टिगत रखते हुए निदेशित करे सौंपा जायेगा। यदि विवाद को तीन मध्यस्थों को संदर्भित किया जाता है तो एक–एक मध्यस्थ विवाद से संबंधित पक्षकारों द्वारा तथा तीसरा आयोग द्वारा नामांकित किया जावेगा। तीसरा मध्यस्थ पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा ।

परन्तु यदि कोई पक्षकार मध्यस्थ को नामांकित करने में असफल रहे या आयोग या पक्षकार द्वारा नामांकित मध्यस्थ अपने कार्य में असफल होते हैं अथवा कार्य की उपेक्षा करते हैं तो आयोग उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित कर सकेगा।

(2) आयोग किसी ऐसे व्यक्ति को नामांकित नहीं करेगा जिसके प्रति मध्यस्थता के किसी पक्षकार को सम्भावित पूर्वाग्रह या ऐसे ही अन्य कारणों के आधार पर आपत्ती हो तथा आयोग आपत्ती को उचित मानता हो ।

24. न्याय निर्णय, समझौता और अधिनिर्णय पारित करने की प्रक्रिया

(1) यदि आयोग स्वयं मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहा हो तो कार्यवाही की प्रक्रिया यथासंभव वही होगी जैसी कि अध्याय–2 में आयोग द्वारा सुनवाई हेतु उपबंधित है।

(2) यदि, आयोग द्वारा विवाद के न्याय निर्णयन तथा निराकरण हेतु मध्यस्थ या मध्यस्थों का नामांकन किया जाता है तो, वे विवाद के पक्षकारों को समुचित अवसर प्रदान करते हुए ऐसी प्रकिया, जिस पर वे सहमत हों तथा उनकी असहमति की दशा में ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे, जिसे वे समुचित मानते हो और जो न्यायं के नैसर्गिक सिद्धांतों के सुसंगत हो, और वे, इस संबंध में आयोग द्वारा दिये गये विशिष्ट निर्देशों का भी अनुपालन करेंगे।

(3) पक्षकारों को सुनने के उपरांत मध्यस्थ या मध्यस्थों द्वारा जैसा भी प्रकरण हो, एक स्पष्ट अवार्ड मध्यस्थता के समस्त बिन्दुओं पर निर्णय के कारणों सहित पारित किया जायेगा तथा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा में आयोग को अग्रेषित किया जायेगा।

(4) आयोग द्वारा या मध्यस्थों द्वारा जैसा भी प्रकरण हो पारित अवार्ड मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम 1996 के अंतर्गत पारित अवार्ड माने जायेंगे।

25. मध्यस्थता तथा कार्यवाहियों का व्यय

आयोग के समक्ष मध्यस्थता एवं कार्यवाहियों के शुल्क एवं व्यय, ऐसे पक्षकारों द्वारा, एवं उतनी राशी के वहन किये जावेंगे जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित मात्रा में किया जावेगा।

अध्याय – IV
अनुज्ञप्ति

26. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

कोई भी व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत के पारेषण, वितरण या व्यापार के कारोबार में लगा हुआ है या लगने का इरादा रखता है, इन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी रीति से और निबंधनों एवं शर्तो के अधीन, जैसी कि आयोग द्वारा विहित की जाये, आयोग द्वारा समुचित अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आयोग को आवेदन करेगा।

27. अनुज्ञप्ति से छूट

(1) आयोग द्वारा अन्यथा निदेशित किये जाने के सिवाय छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत प्रदाय में संलग्न निम्नलिखित व्यक्तियों के वर्गों के संबंध में यह माना जावेगा कि वे, आयोग द्वारा निर्धारित की जाने वाली इस हेतु कंडिका 2 एवं 3 में दिए गए आवश्यक शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन, वितरण अनुज्ञप्तिधारी हैं :

(i) ऐसे व्यक्ति जो उनके स्वयं के द्वारा उत्पादित और/या किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा उसे प्रदाय की गई विद्युत का प्रदाय उसके स्वामित्व के प्रणाली के माध्यम से ऐसे अवसर या कार्य के लिए करता है जो एक माह से अधिक अवधि का न हो ।

(ii) ऐसे व्यक्ति जो आवासीय कालोनियों को, ऐसी कालोनियों के अनुरक्षण के उनके कार्य के भाग के रूप में जो उनके कर्मचारियों के, और/या ऐसे व्यक्तियों के जो कर्मचारियों को सुविधाएं या सेवाएं प्रदान करते हैं, उपयोग एवं आधिपत्य में हैं, विद्युत प्रदाय करते हैं जहाँ ऐसा व्यक्ति, किसी अनुज्ञप्तिधारी (लाईसेंसी) या किसी अन्य स्त्रोत से, जो आयोग द्वारा अनुमोदित हो, विद्युत प्राप्त करता है और उसका वितरण उन आवासीय कालोनियों के भीतर लाभ रहित आधार पर करता है ।

(iii) ऐसे व्यक्ति जो अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत प्राप्त कर, उसे अपने कर्मचारियों की कालोनी को अनुषांगिक सुविधाओं सहित बिना लाभ के प्रदाय कर रहे है ।

(iv) ऐसे व्यक्ति, जो अनुज्ञप्तिधारी से एक प्वांइट पर विद्युत, एक घरेलू या व्यापारिक परिसर में प्राप्त कर रहे है, एवं उसी परिसर में, उसे, अन्य व्यक्तियों को बिना किसी लाभ के प्रदाय कर रहे है।

(v) ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें आयोग समय–समय आदेश द्वारा अधिसूचित करे एवं ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए जिन्हें आयोग विनिर्दिष्ट करें।

(2) उपरोक्त कंडिका (1) के अनुसार एक अनुज्ञप्तिधारी –

(i) संचालन के निर्धारित कार्य क्षेत्र के भीतर ही विद्युत लाईन या वर्क्स की स्थापना करेंगे तथा अपनी गतिविधियों को सीमित रखेंगे।

(ii) लागू होने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का, जो विद्युत संचालन में बचाव व सुरक्षा से संबंधित है, अनुपालन करेंगे।

(3) आयोग द्वारा छूट प्रदान करने की शर्तों और निर्बन्धनों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा –

(i) प्रदान की गई छूट को जनता के ध्यान में लाने के लिए आवेदक द्वारा ऐसी रीति में प्रकाशित किया जाएगा जैसी कि आयोग समुचित समझें।

(ii) आयोग द्वारा चाहे जाने पर छूट प्राप्त व्यक्ति को, आयोग को, ऐसे समय के भीतर, जिसे आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रतितोषण के लिए एक शिकायत निवारण प्रक्रिया प्रस्तुत करनी होगी और उसका क्रियान्वयन ऐसे संशोधन के साथ करना होगा जैसा कि आयोग द्वारा निर्देशित किया जाए।

(iii) छूट प्राप्त व्यक्ति आयोग को ऐसी वार्षिक फीस संदत्त करेगा जैसा कि समय–समय पर आयोग द्वारा निर्धारित किया जाए।

(iv) छूट प्रदान करते समय आयोग ऐसी अन्य शर्तों को अधिरोपित करने का हकदार होगा जिन्हें वह उचित समझे। इनमें छूट के प्रतिसंहरण या उपांतरण की शर्तें सम्मिलित है।

(v) जब तक आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश न दे, छूट प्राप्त व्यक्ति, ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेंगे, जैसी कि

आयोग द्वारा, अपने कार्या के निर्वहन के उद्देश्य से, उनसे अपेक्षित की जावे।

(4) यदि कोई व्यक्ति लाइसेंसी के रूप में इन विनियमों के अंतर्गत, विद्युत सप्लाई करने का पात्र है या नही, इसके बारे में कोई मतभेद या विवाद उत्पन्न होता है, तो उस पर, आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय – V
उत्पादन कंपनी एवं केपटिव उत्पादन गृह

28. उत्पादन कंपनियाँ तथा अन्य व्यक्ति, जिन्होने, छत्तीसगढ़ राज्य में 'उत्पादन इकाईयॉ' स्थापित कर ली हों, जिसमे केप्टिव उत्पादन इकाई भी सम्मिलित है, और वे व्यक्ति, जो 'उत्पादन इकाई' जिसमे 'केप्टिव उत्पादन इकाई' भी सम्मिलित है, स्थापित करने की इच्छा रखते है वे आयोग को अपने 'उत्पादन इकाई' से संबंधित तकनीकी और अन्य सुसंगत विवरण, परिशिष्ट 3 ए और परिशिष्ट 3बी, में जो भी उन पर लागू हो, इन विनियमों के अधिसूचित होने के 30 दिनों के भीतर, अथवा विद्युत उत्पादन प्रारंभ होने के 30 दिनों के भीतर, जो भी बाद मे हो, देंगे ।

परंतु निम्न दाव उपभोक्ताओ के 'केप्टिव उत्पादन इकाईयों' को उपरोक्त विवरण देना आवश्यक नही है, जब तक कि आयोग अन्यथा, विशिष्ट रूप से निर्देशित न करे।

अध्याय–VI
विद्युत की प्राप्ति और क्रय

29. (1) प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त के कारोबार के लिए अपेक्षित विद्युत, केन्द्रीय अधिनियम और अनुज्ञप्ति के उपबंधों के अनुसार सामान्यतः न्यूनतम मूल्य पर क्रय के सिद्धांत के आधार पर एक–मितव्ययी और दक्षता पूर्ण रीति में और एक पारदर्शी ऊर्जा क्रय उपार्जन प्रक्रिया के अधीन क्रय या प्राप्त करेगा।

(2) किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्रय की गई विद्युत को आयोग द्वारा ऐसी शर्तो पर अल्पकालिक विद्युत क्रय या दीर्घकालिक विद्युत क्रय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकेगा जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर विनिश्चित किया जाए ।

(3) आयोग, समय–समय पर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्त व्यापार के लिए किये जाने वाले अल्पकालिक और दीर्घकालिक विद्युत कयों को अधिशासित करने हेतु दिशा निर्देश आचार निर्देश और आदेश जारी कर सकेगा ।

(4) जब तक कि आयोग द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा अनुमोदित न कर दिया जाए, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोई दीर्घकालिक विद्युत कय या उपार्जन आयोग द्वारा अनुमोदित, संरचित प्रतियोगी उपार्जन प्रकिया के माध्यम से किया जायेगा।

(5) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग को, अपने नियंत्रणाधीन वितरण प्रणाली, और, राज्य में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा अन्यों के साथ, आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत उपार्जन योजनाओं के अनुरूप,उपार्जित विद्युत के प्रवहण एवं वितरण हेतु किये गये प्रबंध की विस्तृत जानकारी देगा ।

(6) आयोग,, संसाधन योजना,, विद्युत कय तथा उपार्जन योजना, प्रवहण तथा वितरण व्यवस्था की योजना, प्रतियोगी उपार्जन प्रकिया एवं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत कय से संबंधित अन्य विषयों पर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय ब्यौरों को दिशा निर्देशों एवं आचार निर्देशों में विनिर्दिष्ट कर सकेगा और उसे समय–समय पर जारी कर सकेगा ।

(7) आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी की, इस विनियम और केंद्रीय अधिनियम की धारा 61 के अधीन आयोग द्वारा बनाये जाने वाले शुल्क दर विनियम के अनुसार शुल्क दर निर्धारित करते समय आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को, कय तथा उपार्जन प्रकिया द्वारा विद्युत के लिए प्रदान किये गये अनुमोदन तथा उसमें निहित शर्तों एवं निबंधनों के परिपालन में, उसके द्वारा किये गये कार्यों को ध्यान में रखेगा ।

अध्याय – VII
टैरिफ

30. अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुतीकरण :

(1) आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर निम्नलिखित के लिये टैरिफ अवधारित करेगा:–

(ए) किसी उत्पादन कम्पनी (केन्द्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण से भिन्न) द्वारा किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी का विद्युत का प्रदाय;
(बी) विद्युत का पारेषण;
(सी) विद्युत की व्हीलिंग; एवं
(डी) विद्युत का फुटकर विक्रय

(2) केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक पारेषण तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी,, चालू अनुमोदित शुल्कदर (टैरिफ) के अधीन, आगामी वित्तीय वर्ष में अनुमानित कुल राजस्व की गणना तथा उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं की अनुमानित लागत अर्न्तविष्ट करते हुए एक विवरण, आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में,, प्रत्येक वर्ष 30 नवम्बर या आयोग द्वारा निर्देशित अन्य समयावधि में, आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(3) पारेषण या वितरण अनुज्ञप्तिधारी, ऐसी अवधि के लिए जैसी कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, तत् समय प्रचलित शुल्कदर से प्रत्याशित कुल राजस्व और सेवाओं की प्रत्याशित लागत के बीच के अंतर की पूर्ति के संबंध में, आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगा। प्रस्ताव में नुकसान के स्तर में कमी करने की योजना, प्राप्त किये जाने वाले अन्य दक्ष प्रलाभ, प्रभारों में पुनरीक्षण और उपभोक्ताओं के भिन्न–भिन्न वर्गों के लिए टैरिफ संरचना में परिवर्तन सम्मिलित होगा।

(4) पारेषण या वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग के समक्ष ऐसी अतिरिक्त जानकारी, विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, जिनकी राजस्व संगणना और टैरिफ प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के पश्चात समय–समय पर आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए।

(5) खण्ड (1) के अधीन आवेदन, आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे।

(6) आयोग, केंद्रीय अधिनियम के भाग VII के प्रावधानों के अधीन, टैरिफ के निर्धारण की विस्तृत प्रकिया पृथक से निर्धारित करेगा ।

31. बहु–वर्षी टैरिफ सिद्धांत

(1) आयोग, पारेषण या वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की राजस्व आवश्यकताओं की संगणना और टैरिफ अवधारण , जिसमें विनिधान के स्वरूप, हानि के स्तर में कमी के पहलू, उपार्जन किए जाने वाले अन्य दक्ष प्रलाभ, प्रभारों में पुनरीक्षण, टैरिफ संरचना में, परिवर्तन, लागत के चिन्हित अंश जो स्वीकार्य है, और ऐसे

अन्य विषय जो आयोग द्वारा सामान्य अथवा विशेष निर्देश द्वारा निर्धारित किया जाय, सम्मिलित होंगे, से संबंधित मामलों के लिए बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांत अंगीकार कर सकेगा ।

(2) आयोग, एक से अधिक वर्ष के लिए, राजस्व संगणना का विवरण और टैरिफ प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बारे में समय–समय पर मार्गदर्शी निर्देश जारी कर सकेगा ।

32. राज्य शासन से परिदान

(1) यदि राज्य शासन किसी समय उपभोक्ताओं के किसी वर्ग या वर्गों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में किसी प्रकार का परिदान प्रस्तावित करती है तो आयोग ऐसे प्रस्ताव की प्राप्ति के पश्चात उस राशि का जो परिदान के रूप में होगी और उन निबंधनों और शर्तो जिस पर भुगतान किया जावेगा जिसमें परिदान के विनिश्चय से प्रभावित होने वाले व्यक्ति को राज्य शासन द्वारा परिदान राशि के भुगतान की रीति भी शामिल होगी, का निर्धारण करेगा ।

(2) टैरिफ का निर्धारण करते समय आयोग परिदान की उस राशि को भी ध्यान में रखेगा जिसकी सहमति राज्य शासन द्वारा उपभोक्ताओं के किसी वर्ग या वर्गों को देने हेतु दी गई है।

(3) आयोग, राज्य शासन के प्रस्तावित ऐसे परिदान को, जो आयोग के टैरिफ विनिश्चय दिनांक को था, ध्यान में रखते हुए, निर्धारित किये गये टैरिफ का प्रकाशन करेगा।

(4) उपरोक्त किसी बात के होते हुए भी राज्य शासन द्वारा जारी कोई निर्देश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि राज्य शासन द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 65 के उपबंधों के अनुसार परिदान का भुगतान नहीं कर दिया जाता है एवं उक्त निर्देशों के निष्प्रभावी होने की दशा में, राज्य शासन से अपेक्षित परिदान की राशि संबंधित उपभोक्ताओं के वर्ग या वर्गों पर अधिरोपित टैरिफ में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जोड़ी जावेगी।

(5) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए आवश्यक होगा कि वह आयोग की संतुष्टि हेतु आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा राज्य शासन से प्राप्त परिदान राशि को विधिवत हिसाब में ले लिया गया है और जिस प्रयोजन के लिए परिदान दिया गया है उसमें उपयोग किया गया है।

33. टैरिफ का पुनरीक्षण

(1) उपरोक्तानुसार अधिसूचित शुल्कदर या उसका कोई भाग किसी वित्तीय वर्ष में, सामान्यतया एक से अधिक बार संशोधित नहीं किया जा सकेगा, सिवाय उस दशा के जबकि आयोग द्वारा निर्धारित किसी ईंधन अधिभार सूत्र की शर्तों के अधीन किसी बदलाव को अभिव्यक्त रूप से अनुज्ञात किया गया हो,

और ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है जो किन्हीं विशिष्ट अनुज्ञप्तिधारियों पर लागू हो ।

(2) राज्य सरकार द्वारा दिये गये परिदान के फलस्वरूप आयोग द्वारा जारी परिणामिक आदेश को अधिसूचित टैरिफ आदेश का संशोधन नहीं माना जाएगा। परन्तु वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं को बीजक देते समय परिदान रकम् का समायोजन उस रीति से करेगा जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित किया जाए।

34. उत्पादन टैरिफ

(1) आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उत्पादन कम्पनी से इन विनियमों के अध्याय–VI के अनुसार कीत एवं उपार्जित विद्युत के लिए टैरिफ का अनुमोदन कर सकेगा। ऐसे अनुमोदन के पश्चात उत्पादन कंपनी वितरण अनुज्ञप्तिधारी को, उस टैरिफ पर विद्युत क्रय अनुबंध में निहित निबंधनों एवं शर्तों पर, जैसे कि आयोग द्वारा अनुमोदित की जावें, के अनुसार ऊर्जा विक्रय करने हेतु अधिकृत होगी।

(2) उपरोक्त खण्ड (1) में समाविष्ट से भिन्न प्रकरणों में, उत्पादन कंपनी अपने किसी उत्पादन केन्द्र द्वारा राज्य में ऊर्जा विक्रय हेतु टैरिफ निर्धारण के लिए प्रत्येक वर्ष की 30 नवम्बर तक आयोग को आवेदन कर सकेगा जिसमें उत्पादन से संबंधित निश्चित एवं परिवर्तनीय लागतों का एवं उत्पादन केन्द्र से विद्युत के विक्रय का विस्तार से उल्लेख होगा।

(3) उत्पादन कंपनी खण्ड (2) के अंतर्गत किसी विशिष्ट खरीददार को विद्युत के विक्रय के लिए टैरिफ के निर्धारण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगी जिनमें वितरण अनुज्ञप्तिधारी या एक से अधिक खरीददार या सामान्यतः ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों को ,जो कि ऊर्जा क्रय करने के इच्छुक है और जिनमें वितरण अनुज्ञप्तिधारी भी हो सकता है, शामिल हो।

(4) आयोग उत्पादन कंपनी के उत्पादन केन्द्र से विद्युत के विक्रय हेतु टैरिफ का निर्धारण कर सकेगा जिसके बाद उत्पादन कंपनी आयोग द्वारा निर्धारित

निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ पर विद्युत के विक्रय के लिए अनुबंध कर सकेगी।

परन्तु यह कि उत्पादन टैरिफ का निर्धारण उत्पादन कंपनी को वितरण अनुज्ञप्तिधारी को लम्बी अवधि के आधार पर विद्युत के विक्रय हेतु अधिकृत नहीं करेगा सिवाए ऊर्जा क्रय या उपार्जन अनुबंध या उत्पादन के अनुसार जो कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन विनियमों के अध्याय–VI के उपबंधों के अनुसार परिपूर्ण किया गया हो और उन शर्तों और निबंधनों के अनुसार जो आयोग द्वारा इस उददेश्य के लिए समय–समय पर निर्धारित किये जाते हैं।

परन्तु यह भी कि उत्पादन टैरिफ का निर्धारण उत्पादन कंपनी को वितरण अनुज्ञप्तिधारी को लघुकालिक के आधार पर विद्युत विक्रय हेतु अधिकृत नहीं करेगा सिवाय इन विनियमों के अध्याय VI के अनुसार ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन जैसा कि उस अध्याय के अंर्तगत आयोग द्वारा निर्धारित किया जावे।

35. विद्युत व्यवसायी के लिए टैरिफ

(1) आयोग इन विनियमों के अध्याय–VI के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत व्यवसायी से विद्युत क्रय एवं प्राप्ति हेतु टैरिफ का अनुमोदन कर सकेगा और ऐसे अनुमोदन के पश्चात विद्युत व्यवसायी वितरण अनुज्ञप्तिधारी को, ऐसे टैरिफ और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो विद्युत क्रय अनुबंध में निहित हो और जो आयोग द्वारा अनुमोदित हो, विद्युत विक्रय हेतु अधिकृत होगा।

(2) आयोग समय–समय पर विद्युत व्यवसायी के लिए राज्य में विद्युत व्यवसाय में लाभ की सीमा निर्धारित कर सकेगा।

(3) विद्युत व्यवसायी के लिए उपरोक्त सीमा का निर्धारण वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत क्रय हेतु अधिकृत नहीं करेगा। क्रय इन विनियमों के अध्याय VI के उपबंधों के अनुसार ही किया जा सकता है और यह भी कि ऐसा क्रय इस उददेश्य हेतु आयोग द्वारा समय–समय पर बनाये गये निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन होगा।

अध्याय – VIII
पालन, मानक, कोड, प्रदाय विनियम आदि

36. निष्पादन, मानक, कोड, प्रदाय विनियम आदि

(1) आयोग, समय–समय पर, अनुज्ञप्तिधारीयों और राज्य में कार्य कर रही उत्पादन कम्पनियों को ऐसी संहिता विरचित करने या अपनाने का निदेश दे सकेगा जो आयोग द्वारा विद्युत क्षेत्र के उचित और दक्षतापूर्ण संचालन तथा राज्य में ऊर्जा प्रणाली के प्रचालन के लिए समुचित समझता है।

(2) आयोग अनुज्ञप्तिधारी और उत्पादन कंपनियों द्वारा विरचित संहिता पर विचार–विमर्श करने के लिए ऐसे परामर्श और कार्यवाहीयॉं कर सकेगा, जिन्हें आयोग उचित समझता है।

(3) आयोग, इस प्रकार विरचित की गई संहिताओं पर सलाह देने के लिए सलाहकारों एवं विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकेगा।

(4) आयोग, अनुज्ञप्तिधारी और उत्पादन कम्पनियों द्वारा बनाए गए संहिता में ऐसे संशोधन करने का निदेश दे सकेगा जिन्हें आयोग उचित समझे।

(5) अनुज्ञप्तिधारी और उत्पादन कम्पनियॉं आयोग द्वारा अनुमोदित और समय–समय पर आयोग, द्वारा किये गये निदेशों और आदेशों से संगत संहिताओं को क्रियान्वित करेंगे।

(6) ऊर्जा प्रणाली के प्रचालन में कार्य के मानकों को लागू करने के संबंध में आयोग की शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बनाए जाने और क्रियान्वित की जाने वाली संहिताओं में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे –

(i) ग्रीड संहिता;
(ii) वितरण (योजना एवं संचालन) संहिता;
(iii) वितरण (प्रदाय की शर्तें) संहिता;
(iv) उपभोक्ताओं से संबंधित संहिता जिसमें बिलों के भुगतान की प्रक्रिया की संहिता; सेवा के मानकों और गुणवत्ता की संहिता जिसमें उक्त मानकों और गुणवत्ता में असफलता के लिए जुर्मानों और शास्तियॉं भी हो, उपभोक्ता के अधिकार, अभिकथन और उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया आदि सम्मिलित है;
(ई) बचाव और सुरक्षा संहिता;
(एफ) पारेषण पद्धति योजना और सुरक्षा मानक;
(जी) वितरण पद्धति योजना और सुरक्षा मानक;
(एच) पारेषण प्रचालन मानक;
(आई) वितरण प्रचालन मानक; और
(जे) विद्युत के उपयोग और मांग पक्ष प्रबंधन पर संहिता

(7) अनुज्ञप्तिधारी और उत्पादन कम्पनियां विद्यमान मानकों संहिताओं को और प्रदाय की शर्तों का अनुसरण तब तक करेंगी जब तक कि इन विनियमों के अनुसार संहिता, मानक और प्रदाय की शर्तें न बन जाएं और न लागू न हो जाये :

अध्याय – IX
अन्वेषण, जांच, जानकारियों का संग्रहण आदि

37. जानकारियों का संग्रहण

(1) आयोग केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में जानकारी एकत्रित करने, जांच, अन्वेषण, प्रवेश, खोज एवं जब्ती करने के लिए ऐसे आदेश कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

(2) अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही कर सकता है :

(i) आयोग, अपने किसी अधिकारी को अपनी ओर से किसी भी स्थान या भवन में प्रवेश करने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत कर सकेगा, जहां केन्द्रीय अधिनियम के अधीन जांच या न्यायनिर्णयन से संबंधित मामलों की विषयवस्तु से संबंधित दस्तावेज या अभिलेखों के विद्यमान होने के विश्वास योग्य कारण आयोग के पास हों, और इसके जब्त करने या इसके उद्धरण या प्रतिलिपियां वहाँ से लेने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।

(ii) केन्द्रीय अधिनियम की धारा 128 में प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में, आयोग, यह संतुष्टि होने पर कि अनुज्ञप्ति धारक या उत्पादन कम्पनी अनुज्ञप्ति के किसी नियम या शर्त, केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधान या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों का पालन करने में असफल हो गई है, तो आयोग लिखित आदेश द्वारा किसी अन्वेषण प्राधिकारी को निर्देश देकर अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कम्पनी के काम काज की जाँच करा सकता है और उसका प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत करने हेतु निदेशित कर सकता है। आयोग, इसके लिए, अनुज्ञप्तिधारक तथा उत्पादन कम्पनी द्वारा अपनी पुस्तकों में रखे जाने योग्य न्यूनतम जानकारी, ऐसी जानकारी रखे जाने की रीति और जाँच पड़ताल तथा सत्यापनों हेतु अपनाये जाने वाले तरीकों के संबंध में निर्देश दे सकेगा ।

(iii) आयोग, किसी भी समय अपने कार्य सीमा के, किसी भी मामले के विषय में अध्ययन, जॉच–पड़ताल या जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अपने सचिव या किसी एक या अधिक अधिकारियों या सलाहकारों या ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिसे आयोग उपयुक्त समझता है, निर्देश दे सकेगा।

(iv) उपर्युक्त उददेश्य से आयोग ऐसे अन्य कोई भी निर्देश दे सकेगा, जिन्हें वह उचित समझता हो, और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने या जानकारी उपलब्ध कराने हेतु समय सीमा तय कर सकेगा।

(v) आयोग, केन्द्रीय अधिनियम में यथा उपबंधित लेखा पुस्तकों को, उसके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु, किसी व्यक्ति को निर्देश जारी कर सकेगा, अथवा, अपनी ओर से ऐसे निर्देश जारी करने हेतु सचिव, या किसी अधिकारी को अधिकृत कर सकेगा, और आयोग के किसी अधिकारी को, इसके लिए नाम निर्दिष्ट कर उसे उनका (लेखा पुस्तकों का) परीक्षण करने तथा उन्हें अपने पास रखने की अनुमति देगा।

(vi) आयोग, कोई भी सूचना, विवरण या दस्तावेज जिन्हें वह अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक समझता है, एकत्र करने के प्रयोजन के लिए, ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा और केन्द्रीय अधिनियम में विहित तरीकों में से कोई तरीका या तरीके अपना सकेगा, जिन्हें वह उपयुक्त समझे ।

(vii) यदि अभिप्राप्त ऐसा कोई प्रतिवदेन या जानकारी, अपर्याप्त या अनुपयुक्त प्रतीत हो, तो आयोग, या सचिव या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी अतिरिक्त जांच, प्रतिवेदन या जानकारी उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दे सकेगा।

(viii) आयोग, ऐसे आनुषंगिक, पारिणामिक और पूरक मामलों जो उपरोक्त के संबंध में सुसंगत समझे जाएं, पर गौर करने का निदेश दे सकेगा।

(3) केन्द्रीय अधिनियम एवं इन विनियमों के अंतर्गत कृत्यों एवं शक्तियों के निर्वहन म, आयोग, यदि उचित समझे, तो ,जांच की सूचना जारी करने तथा मामले में अध्याय–II में उल्लेखित रीति के अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दे सकता है।

(4) जॉचकर्ता प्राधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन पर एवं अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी जैसा भी प्रकरण हो, को उक्त प्रतिवेदन के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात, आयोग एक आदेश कर अनुज्ञप्तिधारी या

उत्पादन कंपनी से अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रतिवेदन से उदभूत किसी मामले के संबंध में ऐसा कार्य करे जैसा आयोग उपयुक्त समझे।

(5) आयोग, अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कम्पनी को, जैसा भी प्रकरण हो, युक्तियुक्त सूचना देकर, जांचकर्ता प्राधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन या उसके किसी भाग को ,जो आयोग को आवश्यक प्रतीत हो, प्रकाशित करा सकता है।

(6) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी व उत्पादन कंपनी जॉच प्राधिकारी के कृत्यों को सुगम बनाने हेतु इन विनियमों के परिशिष्ट–4 में निर्धारित सीमा तक तथा, उसमें अंतर्विष्ट रीति में अपनी किताबों में जानकारी रखेगा । आयोग जब भी उचित समझेगा परिशिष्ट–4 की अंतर्वस्तु को बढ़ा सकेगा, परिवर्तित या उपांतरित कर सकेगा।

(7) आयोग, किसी भी समय, किसी संस्था, सलाहकार, विशेषज्ञ, इंजीनियर, चार्टड एकाउन्टेंट, अधिवक्ता, सर्वेक्षक और ऐसे अन्य तकनीकी तथा व्यावसायिक व्यक्तियों की सहायता ले सकेगा, जिन्हें वह किसी जांच या अनुसंधान में आवश्यक समझे तथा ऐसे विशेषज्ञों को नियुक्त करने हेतु निबंधनों और शर्तों का निर्धारण कर सकेगा।

(8) यदि उपरोक्त विनियमों के अनुसार प्राप्त प्रतिवेदन या जानकारी या उसके किसी भी भाग के आधार पर आयोग द्वारा किन्हीं कार्यवाहियों में अपना मत या दृष्टिकोण बनाना प्रस्तावित है, तो कार्यवाहियों के पक्षकारों को प्रतिवेदन या जानकारी पर आपत्ति प्रस्तुत करने और अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

अध्याय – X
जुर्माना और प्रभार

38. जुर्माने और प्रभारों का अधिरोपण

(1) 'यदि किसी प्रभावित पक्षकार से शिकायत अथवा आवेदन प्राप्त होने पर अथवा अपने स्वयं की पहल पर आयोग यह मत बना लेता है कि प्रथम दृष्ट्या किसी उत्पादन कम्पनी, अनुज्ञप्तिधारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय अधिनियम के अथवा उनके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों या अपेक्षाओं का अथवा आयोग के किन्हीं निदेशों या आदेशों का अपालन या उल्लंघन होता है, तो वह जुर्माने और प्रभारों के अधिरोपण की तथा प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर सकेगा।

(2) यदि आयोग, प्राप्त की गई जानकारी के आधार पर यह विनिश्चय करता है कि मामले में कार्यवाही करने के लिए प्रथम दृष्टया हेतुक है तो इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति, जो कि उक्त अपालन या अधिक्रमण हेतु उत्तरदायी है, के विरूद्ध युक्तियुक्त समय के भीतर कारण दर्शित करने के लिए इस आशय का नोटिस जारी किया जाएगा कि क्यों न उस पर जुर्माना या प्रभार अधिरोपित किया जाए। नोटिस में ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध अभिकथित अपालन या उल्लंघन के विशिष्ट संदर्भ में अभिकथन के सार का उल्लेख होगा।

(3) उपस्थिति के लिए नोटिस में नियत की गई तारीख को आयोग द्वारा उस व्यक्ति को जो प्रथम दृष्टया अपालन या उल्लंघन के लिये जिम्मेदार है या उसके प्रतिनिधि को उसके द्वारा अभिकथित रूप से किये गये अपालन और उल्लंघन का सारवान ब्यौरा बताया जाएगा।

(4) जहां कोई व्यक्ति नोटिस के जबाव में उपस्थित होता है और लिखित में, ज्ञापन द्वारा आरोप की सत्यता को स्वीकार करता है, वहां आयोग, प्रतिसाद अभिलिखित करेगा और केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप तथा आयोग द्वारा विरचित विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपने विवेकानुसार जुर्माना या प्रभार अधिरोपित कर सकेगा और प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर भी प्रदान कर सकेगा।

(5) यदि कोई व्यक्ति अभिकथित अपालन या उल्लंघन को स्वीकार नहीं करता है और सुनवाई की मांग करता है तो आयोग केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों और इन विनियमों के अनुसार मामले की सुनवाई के लिए अग्रसर होगा।

(6) यदि कोई व्यक्ति जिसे नोटिस जारी किया गया है, पर्याप्त कारण के बिना सुनवाई के लिए नियत की गई तारीख को या किसी ऐसी पश्चातवर्ती तारीख, जिसके लिए सुनवाई स्थगित की गई है, आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो आयोग ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में प्रकरण में विवेकानुसार एक पक्षीय कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगा।

(7) आयोग शिकायत को सुनने के लिए अग्रसर होगा और समस्त ऐसी साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेजी या शपथ पत्र के रूप में ,जो कि प्रकरण के समर्थन में प्रस्तुत किये जाएं, और समस्त ऐसी साक्ष्य लेगा जो उसके बचाव में प्रस्तुत की जाए। जहां कार्यवाही आयोग द्वारा प्राप्त की गई जानकारी के आधार पर प्रारम्भ की गई हो, वहां वह अपने किसी भी अधिकारी को शिकायतकर्ता के रूप में कार्य करने एवं प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दे सकेगा।

(8) आयोग को इन विनियमों के अधीन कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर किसी ऐसे व्यक्ति को जो साक्ष्य देने के लिए प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होता हो , उसे उपस्थित रहने के लिए बाध्य करने या कोई दस्तावेज जो आयोग की राय में कार्यवाही की विषयवस्तु से सारवान या सुसंगत प्रतीत होता हो, प्रस्तुत करने के लिए समन करने की शक्ति होगी।

39. जुर्माना और प्रभारों के आदेश और वसूली की प्रक्रिया

(1) किसी कार्यवाही के समापन पर यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति जुर्माने या प्रभारों का दायी है तो वह लिखित में आदेश द्वारा केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों और इस प्रयोजन के लिए विरचित विनियमों के अनुसार ऐसा जुर्माना या प्रभार अधिरोपित कर सकेगा जो उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट हो ,और प्रतिकर अधिनिर्णित करने का आदेश भी दे सकेगा।

(2) आयोग, जुर्माना या प्रभारों की मात्रा का अवधारण करते समय अन्य के अलावा निम्नलिखित कारकों पर भी विचार करेगा :—

(ए) अपालन या उल्लंघन की प्रकृति और विस्तार;
(बी) अपालन या उल्लंघन के परिणामस्वरूप प्राप्त किये गये दोषपूर्ण अभिलाभ या अनुचित लाभ;
(सी) अपालन या उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को कारित हानि या उत्पीड़न की मात्रा; एवं
(डी) अपालन या उल्लंघन की एकाधिक बार होने की प्रकृति।

(3) आयोग, इन विनियमों के अधीन आदेश पारित करते समय अपालन या उल्लंघन करते हुए पाये गये व्यक्ति द्वारा शिकायतकर्ता या प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर प्रदान करने का आदेश दे सकेगा।

(4) आयोग, संबंधित व्यक्ति द्वारा जुर्माना, प्रभार या प्रतिकर संदत किये जाने की समय सीमा निर्धारित कर सकेगा ।

(5) जुर्माना और प्रभार वसूल करने के लिए आयोग किसी अधिकारी को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

40. शिकायत को वापस लेना और उसका निपटारा

(1) यदि कोई शिकायतकर्ता, किसी कार्यवाही में अंतिम आदेश पारित होने के पूर्व किसी भी समय आयोग का समाधान कर देता है कि प्रत्यर्थी के विरूद्ध उसकी शिकायत को वापिस लेने के लिए उसे अनुमति प्रदान करने के पर्याप्त आधार है, तो आयोग उक्त शिकायत वापस लेने की अनुमति दे सकेगा। यदि उसमें एक से अधिक प्रत्यर्थी है तो आयोग उनमें से सभी या किसी के विरूद्ध शिकायत को वापिस लेने के लिए अनुमति दे सकेगा।

(2) यदि आयोग की राय में शिकायत को वापिस लेने के लिए अनुमति देना उचित नहीं होगा तो आयोग शिकायतकर्ता के अलावा ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत को जारी रखने के लिए और ऐसी रीति में करने के लिए आदेश दे सकेगा जिसे आयोग उचित समझे।

(3) जहां आयोग की राय में इन विनियमों के अधीन कार्यवाही का जारी रहना अनावश्यक है या आयोग की प्रक्रिया का दुरूपयोग है, तो वह किसी भी प्रक्रम पर उन कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए कार्यवाही को समाप्त कर सकेगा।

अध्याय – XI
भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना

41. भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों का लागू होना

(1) केन्द्रीय अधिनियम की धारा 95 के निबंधनों के अनुसार आयोग के समक्ष कार्यवाहियॉ, न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएगी और आयोग भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के लागू होने वाले उपबंधों के साथ सहपठित उक्त धारा में यथा विनिर्दिष्ट, सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

(2) भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत उपबंधों का सार इन विनियमों के परिशिष्ट–5 में दिया गया है।

अध्याय – XII
उपभोक्ता संरक्षण और परिवाद निराकरण की प्रक्रिया

42. उपभोक्ता संगठनों को मान्यता और उपभोक्ता के हित

(1) किसी उपभोक्ता समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली कोइ संस्था अथवा निगमित निकाय जो मान्यता प्राप्त करने का इच्छुक है, आयोग के समक्ष इस

हेतु आवेदन कर सकता है और आयोग ऐसी जांच पड़ताल के बाद जो वह उपयुक्त समझे, मान्यता का प्रमाण पत्र जारी करं संबंधित संस्था, या निगमित निकाय को मान्यता प्रदान कर सकता है।

(2) आयोग, यदि उपयुक्त समझे तो वह मान्यता प्राप्त किसी संघ, मंच या अन्य निगमित निकाय या उपभोक्ताओं के किसी समूह को अपने समक्ष होने वाली किसी भी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने या भाग लेने की अनुमति दे सकता है ।

(3) आयोग को यह अधिकार होगा कि वह कार्यवाहियों को समय सीमा में पूरा करने के उददेश्य से, ऊपर खण्ड (1) में बताए गए संघों, मंचों को समूह बनाने का निदेश दे ताकि वे आयोग के समक्ष सामूहिक प्रतिनिधित्व कर सकें।

(4) यदि आयोग आवश्यक समझता है तो वह किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को, उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।

(5) आयोग ऊपर खण्ड (1) या (3) के प्रयोजन के लिए, कार्यवाहियों के ऐसे पक्षकारों द्वारा, ऐसी फीस, लागत और खर्चे देने का निदेश दे सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

अध्याय – XIII
प्रकीर्ण

43. निर्णयों, निदेशों और आदेशों का पुनर्विलोकन

(1) आयोग, स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति या संबंद्ध व्यक्ति या पक्षकार के आवेदन पर, किसी निर्णय, निदेश या आदेश के पारित होने के दिनांक से 90 दिवस के भीतर ऐसे निर्णय, निर्देश या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और ऐसे समुचित आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे।

(2) पुनर्वलोकन हेतु आवेदन रीति से प्रस्तुत किया जायेगा जैसा कि याचिका हेतु इन विनियमों के अध्याय–II में उल्लेखित है।

(3) आवेदन के साथ आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।

44. मृत्यु आदि के पश्चात कार्यवाहियों का जारी रहना

(1) जहां किन्ही कार्यवाहियों के किसी भी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है या वह दिवालिए के रूप में न्याय निर्णित किया जाता है, या किसी कंपनी के मामले में, यदि उसका परिसमापन हो जाता है, वहां कार्यवाहियां संबद्ध पक्षकार के हित के उत्तराधिकारी, के साथ जारी रहेंगी।

(2) आयोग कारणों का उल्लेख करते हुए कार्यवाहियों को उपशमित हुआ मान सकता है, यदि आयोग ऐसा निदेश दें और हित रखने वाले उत्तराधिकारी को अभिलेख पर लाने की आवश्यकता से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा।

(3) यदि, कोई व्यक्ति, कार्यवाहियों में हित रखने वाले उत्तराधिकारी को अभिलेख में लाना चाहता है तो वह उक्त घटना जिसके कारण ऐसी आवश्यकता है, के 90 दिनों के भीतर इस प्रयोजन के लिए आवेदन करेगा।

परन्तु यदि आयोग का समाधान हो जाता है कि स्वीकृत समयावधि में उक्त आवेदन प्रस्तुत नहीं करने हेतु पर्याप्त कारण विद्यमान है तो आयोग ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन, जिन्हें वह उचित समझे, विलंब को क्षमा कर सकता है ।

(4) यदि कोई व्यक्ति खण्ड (3) में दी गई समयावधि में हित उत्तराधिकारी को अभिलेख में लाने में असफल रहे या हितबद्ध उत्तराधिकारी को अभिलेख में लाने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु खण्ड (3) के प्रावधानों के अधीन दिया गया आवेदन स्वीकार न किया जावे, तब मृत व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाहियों का उपशमन हो जाएगा ।

45. कार्यवाहियों का जनता के लिए खुला रहना

आयोग के समक्ष कार्यवाहियां, स्थान की उपलब्धता के अध्यधीन, जनता के लिए खुली रहेंगी।

परन्तु आयोग, यदि वह उचित समझे, उल्लेखित कारणों से किसी विशिष्ट प्रकरण की कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर आदेश कर सकेगा कि आयोग द्वारा उपयोग में लाए जा रहे कमरे या भवन में सामान्य जनता या किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की पहुँच या उनका प्रवेश या उपस्थिति नहीं होगी।

46. याचिका का प्रकाशन

(1) जहां किसी आवेदन, याचिका या अन्य विषय का केन्द्रीय अधिनियम या इन विनियमों के अधीन या आयोग के निदेशों के अनुसार प्रकाशित किया जाना अपेक्षित हो तो वह, जब तक कि आयोग अन्यथा आदेश न दे, ऐसे समय के भीतर जैसा कि आयोग निर्देशित करे और तत् प्रतिकूल किसी विशिष्ट आदेश के अभाव में सुनवाई के लिए नियत की गई तारीख से कम से कम 5 दिन पहले विज्ञापित किया जायेगा। यदि आयोग अन्यथा निर्देशित न करे तो इसका प्रकाशन दो समाचार पत्रों में जिनमें से एक हिन्दी व एक अंग्रेजी समाचार पत्र, जिनका व्यापक प्रसार संबंधित क्षेत्र में हो, किया जायेगा।

(2) प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट आयोग के अधिकारी द्वारा प्रकाशन के पूर्व अनुमोदित किया जायेगा।

47. गोपनीयता

(1) आयोग के अभिलेख, सिवाय उन भागों के, जो आयोग के लिखित कारणों से गोपनीय या विशेषाधिकार प्राप्त हो, निर्धारित शुल्क के भुगतान और ऐसे अन्य निर्बधनों के पालन पर सभी के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे, जैसा कि आयोग द्वारा निर्देशित किया जाए।

(2) आयोग ऐसी शर्तों और निर्बंधनों पर जैसा कि वह उचित समझे, किसी व्यक्ति को उसके पास उपलब्ध दस्तावेजों और कागजातों की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगा।

(3) आयोग अपने आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि उसके किन्हीं अधिकारियों, सलाहकारों, प्रतिनिधियों या अन्य के समक्ष प्रस्तुत की गई या अन्यथा उसके आधिपत्य या अभिरक्षा में आई किसी जानकारी, दस्तावेज और अन्य कागजात तथा सामग्रियां गोपनीय या विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और निरीक्षण या प्रतियों के प्रदाय के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। आयोग यह भी निदेश दे सकेगा कि ऐसे दस्तावेज, कागजात सामग्रियां किसी भी रीति में, सिवाय आयोग द्वारा विशिष्टतः प्राधिकृत को छोड़कर, उपयोग में नहीं लाया जायेगा।

48. आदेशों और प्रक्रिया निर्देशों को जारी करना

केन्द्रीय अधिनियम तथा इन विनियमों के अध्यधीन रहते हुए, आयोग, विनियमों तथा विभिन्न मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के कियान्वयन, जिन्हें निर्धारित करने आयोग इन विनियमों के अधीन सशक्त है, के संबंध में समय–समय पर आदेश, तथा व्यवहार निर्देश जारी कर सकेगा ।

49. आयोग की अन्तर्निहित शक्ति

(1) इन विनियमों की कोई बात, आयोग को न्याय के परिणाम तक पहुँचने या उसकी प्रकिया का दुरूपयोग रोकने हेतु आवश्यक आदेश करने की अंतर्निहित शक्तियों को, सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाली नहीं मानी जायेगी ।

(2) इन विनियमों की कोई बात आयोग को, इन विनियमों के किसी प्रावधान से भिन्न कोई प्रकिया अपनाने से प्रवारित नहीं करेगी, यदि आयोग, किसी मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए और ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जाएंगे, इसे आवश्यक या समीचीन माने ।

(3) इन विनियमों की कोई बात, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, आयोग को, केंद्रीय अधीनियम के अधीन किसी मामले के निपटारे या किसी शक्ति के प्रयोग से, जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाये गये हों, नहीं रोकेगी और आयोग, ऐसे मामलों, शक्तियों तथा कृत्यों पर, उस रीति से, जो वह उचित समझे कार्यवाही कर सकेगा ।

50. संशोधन का सामान्य अधिकार

आयोग, किसी भी समय उसके समक्ष किसी भी कार्यवाही में मौजूद किसी भी दोष या त्रुटि को सुधार सकता है।

51. विनियमों की अपेक्षाओं को अभिमुक्त करने की शक्ति

आयोग को, कारणों को अभिलिखित कर और प्रभावित पक्षों को सूचित कर, किसी विशेष प्रकरण या प्रकरणों में किसी भी विनियम की अपेक्षाओं को ऐसे निबंधनों और शर्तो के अध्यधीन, जिसे वह उचित समझे अभिमुक्त करने की शक्ति होगी।

52. निर्धारित समय का विस्तार और कमी

केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, इन विनियमों द्वारा अथवा आयोग के किसी अन्य आदेश द्वारा, किसी कार्य के लिए निर्धारित समय को, आयोग के आदेश से, पर्याप्त कारणों के आधार पर, बढ़ाया (चाहे यह पूर्व में ही समाप्त हो गया हो अथवा नहीं) अथवा घटाया जा सकता है।

53. अपालन का प्रभाव

इन विनियमों की किसी भी अपेक्षाओं के पालन करने की विफलता के कारण ही कोई कार्यवाही अवैधानिक नहीं होगी, जब तक आयोग की दृष्टि में, ऐसी विफलता के परिणाम स्वरूप न्याय विफल न हुआ हो ।

54. व्यय

(1) ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन, जो आयोग द्वारा निर्दिष्ट की गई हो, सभी कार्यवाहियों में व्यय एवं आनुषंगिक व्यय आयोग के स्वविवेक से प्रदान किये जाएंगे और उसे यह तय करने का पूरा अधिकार होगा कि किसके द्वारा, किस कोष से और किस सीमा तक इस व्यय का भुगतान किया जावेगा ।

(2) आदेश के दिनांक से 30 दिन अथवा ऐसी समयावधि के भीतर, जैसा कि आयोग, आदेश द्वारा निर्देशित करें, व्यय का भुगतान किया जायेगा। आयोग के व्यय दिलवाने के आदेश का निष्पादन उसी तरह किया जायेगा, जिस तरह व्यवहार न्यायालय की डिक्री/आदेश का किया जाता है।

55. आयोग के आदेशों का प्रवर्तन

सचिव, आयोग द्वारा पारित आदेशों का, विनयमों एवं केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तन और परिपालन सुनिश्चित करेगा।

56. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

विनियमों के प्रावधानों को लागू करने में, यदि कोई भी कठिनाई उदभूत होती है, तो आयोग, सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा, कोई भी कार्य, जो केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, कर सकता है ,जो उसे रूकावट को दूर करने के लिए आवश्यक या उचित लगता है।

नोट:— *इस विनियम के हिंदी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जाएगा और इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।*

आयोग के आदेशानुसार,
अजय श्रीवास्तव, उप-सचिव.

Raipur, the 31st May 2005

REVISED REGULATIONS

No. 1/CSERC/2004 - In exercise of the powers conferred by Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission makes the following Regulations for conduct of business assigned to it in the said Act.

CHHATTISGARH STATE ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (CONDUCT OF BUSINESS) REGULATIONS, 2004

CHAPTER I

GENERAL

1. Short title, commencement and interpretation

(1) These Regulations may be called the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2004.
(2) They extend to the whole of the State of Chhattisgarh.
(3) They shall come into force on the date of their publication in the Chhattisgarh Rajpatra.

2. Definitions

(1). In these Regulations, unless the context otherwise requires:
- (a) **'Board'** means the Chhattisgarh State Electricity Board.
- (b) **'Central Act'** means the Electricity Act, 2003 (No.36 of 2003)
- (c) **'Chairperson'** means the Chairperson of the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission.
- (d) **'Commission' means** the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission.
- (e) **'Member'** means a member of the Commission and includes the Chairperson.
- (f) **'Officer'** means an officer of the Commission.
- (g) **'Petition'** means and includes all petitions, applications, complaints, appeals, replies, rejoinder and supplemental pleadings.
- (h) **'Proceedings'** means proceedings of all nature that the Commission may decide to initiate or hold in the discharge of its functions under the Central Act, but do not include any preliminary meeting or any action done by the Commission before such initiation.

(i) **'Receiving Officer'** means the officer designated by the Commission to receive petitions.
(j) **'Secretary'** means the Secretary of the Commission.
(k) **'State Government'** means the Government of Chhattisgarh.

(2) Words and expressions occurring in these Regulations and not defined wherein above shall bear the same meaning as in the Central Act.

3. Commission's offices, office hours and sittings

(1) The place of the office(s) of the Commission shall be as decided by the Commission from time to time, by an order made in that behalf.
(2) Unless otherwise directed, the headquarters and other offices of the Commission shall be open daily except on second and third Saturdays of each month, Sundays and on holidays notified by the State Government.
(3) The headquarters and other offices of the Commission shall be open at such times as the Commission may direct.
(4) The Commission may hold sittings for hearing matters at the headquarters or at any other place on days and time as it may decide.
(5) Where the last day for doing of any act falls on a day on which the office of the Commission is closed and by reason there of, the act cannot be done on that day, it may be done on the next day on which the office is open.

4. Language of the Commission
(1) The proceedings of the Commission shall be conducted in English or Hindi.
(2) No petition, documents or other matters contained in any language other than English or Hindi shall be accepted by the Commission unless the same is accompanied by a translation thereof in English or Hindi.
(3) Any translation which is agreed to by the parties to the proceedings or which any of the parties may furnish with an authenticity certificate of the person who had translated into English or Hindi, may be accepted by the Commission as a true translation.

5. Seal of the Commission
(1) There shall be a separate seal of the Commission.
(2) Every order, decision or communication made, notice issued or certified copy granted by the Commission, shall be stamped with the seal of the Commission and shall be authenticated by the Secretary or any other Officer designated for the purpose and duly authorized by the Commission.

6. Officers of the Commission

(1) The Commission may appoint the Secretary and such other officers as are required for the discharge of its various functions. The terms and conditions of service of the Secretary, officers and staff of the Commission shall be as notified by the Commission

(2) The Secretary of the Commission shall exercise such functions as are assigned to him by these Regulations or otherwise by the Commission or the Chairperson.

(3) In particular and without prejudice to the generality of the provision of the clause (1) above, the Secretary shall have the following functions, namely:

- (i) he shall receive or cause to receive all petitions, other filings or references submitted to the Commission;
- (ii) he shall prepare or cause to prepare briefs and summaries of all such petitions and filings;
- (iii) he shall assist the Commission in its proceedings;
- (iv) he shall authenticate the orders passed by the Commission;
- (v) he shall ensure compliance of the orders passed by the Commission; and
- (vi) he shall have the right to collect from the State Governments, the Central Government and their agencies, the Board and its successor bodies or other offices, companies and firms, or any person as may be directed by the Commission, such information as may be considered useful for the purpose of efficient discharge of the functions of the Commission.

(4) The Secretary shall have the custody of the seal and records of the Commission.

(5) The Secretary may, with the approval of the Commission, delegate to any other Officer of the Commission any of his functions.

(6) In the absence of the Secretary, such other Officer of the Commission, as may be nominated by the Chairperson, may exercise the functions of the Secretary.

(7) The Commission may, if it considers appropriate to do so, either on an application made by any interested or affected party or suo motu, review, revoke, revise, modify, amend, alter or otherwise change any order made or action taken by the Secretary or other Officers of the Commission.

(8) Subject to the provisions of Section 97 of the Central Act, the Commission may by general or special order delegate to its Officers any functions including functions of the Secretary, on such terms and conditions as the Commission considers appropriate.

CHAPTER II

PROCEEDINGS BEFORE THE COMMISSION

7. Proceedings before the Commission

(1) (a) The Commission may from time to time hold such proceedings, meetings, discussions, consultations, enquiries and investigations as it considers appropriate in the discharge of its functions under the Central Act.

(b) The quorum for meeting of the Commission shall be two, but the Commission may decide the matters, which may be heard by a single Member.

(c) The Commission may appoint any of its Members as Adjudicating Officer under Section 143 of the Central Act or under Section 27 of the Energy Conservation Act, 2001.

(2) The Commission may appoint an officer or any other person, as it considers appropriate, to participate and assist the Commission in its proceedings.

(3) All matters which the Commission is required under the Central Act to undertake and discharge through hearings shall be done through hearing in the manner specified under the said Act and in these Regulations.

(4) Except where the Commission directs otherwise, for reasons to be recorded in writing, all matters affecting the rights or interests of a licensee or any other person or class of persons, shall be undertaken and discharged through hearing in the manner specified in these Regulations.

(5) The Commission may hold hearings in appropriate matters other than those specified in clauses (3) and (4) above.

(6) The Commission may hold consultations with one or more of the parties before deciding on the initiation of proceedings in any matter.

8. Authorised representative to appear before Commission

(1) A person may appear himself or may authorise any other person to appear before the Commission and to act and plead on his behalf.

(2) A person may authorise an advocate or a member of any statutory professional body holding a certificate of practice as the Commission may from time to time direct, to represent him and to act and plead on his behalf before the Commission.

(3) The Commission may from time to time decide the terms and conditions subject to which a person may authorise any other person to represent him and to act and plead on his behalf and the form of authorisation to be provided to the Commission for the purpose.

(4) Notwithstanding the above, the Commission may allow any consumer group or association recognized under Regulation 47(1) or any person duly authorized by such consumer group or association, to appear in any proceeding before the Commission, or in any meeting before the initiation of the proceedings.

9. Initiation of Proceedings

(1) The Commission may initiate any proceeding suo motu or on a petition filed by any affected or interested person.

(2) Initiation of proceedings shall be by issuance of notices to the affected or interested parties for the filing of replies and rejoinders.

(3) The Commission may, in appropriate cases, issue orders giving due publicity to the petition, through newspaper or otherwise inviting comments on the issues involved in the proceedings in such form as it may direct.

(4) While issuing notice, in suo motu proceedings and in other appropriate cases, the Commission may designate an officer or any other person to present the matter in the capacity of a petitioner in the case.

10. Petitions before the Commission

(1) All petitions shall contain a clear and concise statement of the facts with material particulars, the relief sought, the applicable provisions of law and the basis for such relief.

(2) All petitions to be filed before the Commission shall be type-written, cyclostyled or printed neatly and legibly on white paper and every page shall be consecutively numbered. The petition shall be filed in six copies or in such number of copies as the Commission may direct and all such copies shall be complete in all respects. The Commission may, in addition, seek copies of the petition to be filed in an electronic form.

(3) The contents of the petition shall be divided appropriately into separate serially numbered paragraphs.

(4) The petition shall be accompanied by such documents, supporting data and statements, as are relevant to the matters in issue.

(5) Fees, if any, fixed by the Commission shall be paid at the time of or before the presentation of the petition.

11. General headings

The general heading in all petitions before the Commission and in all advertisements and notices issued by the Commission shall be in the form attached to these Regulations as Appendix 1.

12. Affidavit in support

(1) A Petition filed shall be verified by an affidavit and every such affidavit shall be in the form attached to these Regulations as Appendix 2.

(2) Every affidavit shall be drawn up in the first person and shall state the full name, age, occupation and address of the deponent and the capacity in which he is signing and shall be signed and sworn before a person lawfully authorized to take and receive affidavits.

(3) Every affidavit shall clearly indicate the statements which are true to the -

(i) knowledge of the deponent;

(ii) information received by the deponent; and

(iii) belief of the deponent.

(4) Where any statement in affidavit is stated to be true to the information received by the deponent, the affidavit shall also disclose the source of the information and a statement that the deponent believes that information to be true.

13. Presentation and scrutiny of the petition, etc.

(1) All petitions shall be presented in person or by a duly authorized agent to the Receiving Officer at the headquarters of the Commission or at such other place as may be notified by the Commission from time to time, and during the time notified. The petitions may also be sent by registered post with acknowledgment due to the Commission at the places mentioned above.

(2) The vakalatnama in favour of the Advocate and, in the event the petitions are presented by the authorized agent or representative, the document authorizing the agent or representative shall be filed along with the petition.

(3) The presentation and receipt of the petition shall be duly entered in the register maintained for the purpose in the office of the Commission.

(4) The Receiving Officer shall acknowledge the receipt of a petition by stamping and endorsing the date on which the petition has been presented and shall issue an acknowledgment with stamp and date to the person filing the petition. In case the petition is received by registered post the date on which the petition is actually received in the office of the Commission shall be taken as the date of presentation of the petition.

(5) The Receiving Officer may decline to accept any petition which is not in conformity with the provisions of the Central Act or these Regulations or directions given by the Commission, or is otherwise defective, or is presented otherwise than in accordance with these Regulations or directions of the Commission.

Provided, however, that no petition shall be refused for defect in the pleading or in its presentation, without giving an opportunity to the person filing the petition to rectify the defect within the time, which may be allowed for the purpose. The Receiving Officer shall advise in writing the person filing the petition of the defects and the time within which the defects may be rectified.

(6) A party aggrieved by any order of the Receiving Officer in regard to the presentation of the petition may request for the matter to be placed before the Secretary for appropriate orders.

(7) The Chairperson or any Member the Chairperson may designate for the purpose, shall be entitled at any time to call for the petition presented by a party and give such directions regarding the presentation and acceptance of the petition as he considers appropriate.

(8) If on scrutiny, the petition is not refused it shall be duly registered and given a number in the manner directed by the Commission.

(9) As soon as the petition and all necessary documents are lodged and the defects and objections, if any, are removed and the petition has been scrutinized and numbered, it shall be placed before the Commission for admission.

Provided, however, that in the case of complaints of individual consumers, class of consumers or any consumer organizations, the Secretary may refer the matter to the forum for redressal of grievances of consumers established for the purpose in terms of Section 42(5) of the Central Act and the regulations framed by the Commission under the said provisions.

(10) The Commission may admit a petition for hearing without requiring the attendance of the party filing the petition. The Commission shall not pass an order refusing admission without giving the party concerned an opportunity of being heard. The Commission may, if it considers appropriate, issue notice to such person or persons, as it may desire to hear in the matter of admission of a petition.

(11) If the Commission admits a petition, it may give such orders and directions as may be considered necessary, for service of notices to the respondent and other affected or interested parties and for the filing of replies and rejoinder in opposition or in support of the petition in such form as the Commission may direct.

14. Service of notices and processes issued by the Commission

(1) Any notice or process to be issued by the Commission may be served by any one or more of the following modes;

(i) Service by the petitioner or the party to the proceedings;

(ii) By hand delivery through a messenger;

(iii) By registered post with acknowledgment due;

(iv) By publication in newspaper in cases where the Commission is satisfied that it is not reasonably practicable to serve the notices, processes, etc. on any person in the manner mentioned above; and

(v) Through courier

(vi) By fax or e-mail and

(vii) By such other mode of service as the Commission may decide from time to time.

(2) Every notice or process required to be served on or delivered to any person may be sent to the person or his agent empowered to accept service, at the address furnished by him for service or at the place where the person or his agent ordinarily resides or carries on business.

(3) In case a person required to be served while has authorized an agent or representative to appear for or represent him in any matter, such agent or representative shall be deemed to be duly empowered to take service of the notices and processes on behalf of the party concerned and the service on such agent or representative shall be taken as due service on the person to be served. It shall be the duty of such agent or representative to duly inform the person whom he represents of the service of the notice.

(4) Where a notice or process is served by a party to the proceedings either in person or through registered post, an affidavit of service shall be filed by such party giving details of the proof of service.

(5) Where any petition is required to be published in newspapers it shall be done within such time and in such manner as the Commission may direct and such publication shall be made in one issue each of a daily newspaper in English language and in Hindi language having circulation in the area. .

(6) The Commission may decide in each case the person(s) who shall bear the cost of such service and publication.

(7) Save as otherwise provided in the Central Act or these Regulations, and subject to any direction of the Commission or the Secretary, the petitioner, the applicant or any other person whom the Commission may direct, shall arrange for service of notices, summons, processes and for publication of notices and processes required to be served or published.

(8) In case of default in compliance with the requirements of these Regulations or directions of the Commission with regard to service of notices, summons or processes or the advertisement and publication thereof, the Commission may either dismiss the petition or give such directions, as it considers fit.

(9) No service or publication required to be done shall be deemed invalid by reason of any defect in the name or description of a person provided that the Commission is satisfied that such service is sufficient in other respects.

(10) No proceeding shall be invalidated by reason of any defect or irregularity in the service or publication unless the Commission, on an objection filed, is of the opinion that substantial injustice has been caused by such defect or irregularity or publication, or there are otherwise sufficient reasons for doing so.

15. Filing of reply, opposition, objections, etc.

(1) Every person to whom a notice of inquiry or petition is issued (hereinafter called the "respondent") shall file his reply alongwith the documents relied upon, within such period and in such number of copies as may be directed by the Commission.

(2) In his reply, the respondent shall specifically admit, deny or explain the facts stated in the notice of inquiry or the petition and may also state such additional facts as he considers necessary for a just decision in the case.

(3) The reply shall be signed and verified and supported by an affidavit in the same manner as in the case of the petition. The respondent shall also indicate whether he wishes to participate in the proceedings and be orally heard.

(4) The respondent shall serve a copy of the reply along with the copies of the documents on the petitioner or his authorized representative, and file proof of such service with the Commission at the time of filing the reply.

(5) Where the respondent states additional facts, the Commission may allow the petitioner to file a rejoinder to the reply filed by the respondent. The procedure mentioned above for filing of reply shall apply mutatis mutandis to the filing of the rejoinder.

(6) Any person other than a respondent, who intends to file objection or comments in regard to a matter pending before the Commission, pursuant to the publication issued for the purpose, shall deliver to the Receiving Officer the statement of the objection or comments with copies of the documents and evidence in support thereof, within the time fixed for the purpose.

(7) The Commission may permit such person or persons as it may consider appropriate, to participate in the proceedings before the Commission, if on the report received from the officer, the Commission considers that the participation of such person or persons will facilitate the proceedings and decision in the matter.

(8) The person filing objections or comments shall not be entitled to participate in the proceedings unless specifically permitted by the Commission. However, the Commission may take into account the objections and comments filed after giving such opportunity to the parties to the proceedings to deal with the objections and suggestions, as the Commission considers appropriate.

16. Hearing of a matter

(1) The Commission may determine the stage, the manner, the place, the date and the time of the hearing of a matter as it considers appropriate, consistent with such specific timing requirements as are set forth in the Central Act or otherwise the need to expeditiously decide the matter.

(2) The Commission may decide the matter on the pleadings of the parties or may call the parties to produce evidence by way of affidavit or lead oral evidence in the matter.

(3) If the Commission directs evidence of a party to be led by way of an affidavit, the Commission may grant an opportunity to the other party to cross-examine the deponent of the affidavit.

(4) The Commission may, if considered necessary or expedient, direct that the evidence of any of the parties be recorded by an officer or person designated for the purpose by the Commission.

(5) The Commission may direct the parties to file written note of arguments or submissions in any proceeding before it.

17. Power of the Commission to call for evidence, information etc.

(1) The Commission may, at any time before passing orders on a matter, require the parties or any one or more of them, or any other person as it considers appropriate, to produce such documentary or other material as evidence as it may consider necessary for the purpose of enabling it to pass orders.

(2) The Commission may direct the summoning of witnesses, discovery and production of any document or other material producible in evidence, requisition of any public record from any office, the examination by an officer of the books, accounts or other documents or information in the custody or control of any person, which the Commission considers relevant to the matter.

(3) The Commission may, allow any of the parties or others specified in clauses (1) or (2) above, to adduce such further documentary or other evidence in regard to evidence made available by any of the parties or other persons under the said clauses.

(4) The Commission may, at any time, summon and enforce the attendance of any person and examine him on oath.

(5) The Commission may receive evidence by way of affidavit.

18. Reference of issues to others

(1) At any stage of the proceedings, the Commission may refer such issue or issues, as it considers appropriate, to persons including, but not limited to, the officers and consultants whom the Commission considers qualified to give expert or specialized advice or opinion.

(2) The Commission may nominate from time to time any person including, but not limited to, the officers and consultants to visit any place or places for inspection and report on the or status of the place or any facilities therein.

(3) The Commission may direct the parties to appear before the persons designated in clauses (1) or (2) above to present their respective views on the issues or matters referred to them.

(4) The report or the opinion received from such person shall form a part of the record of the case and parties shall be given copies of the report or opinion given. The parties shall be entitled to file their comments on the report/opinion.

(5) The Commission shall duly take into account the report/opinion given by the person and the replies filed by the parties while deciding the matter. If considered necessary, it may examine the person giving the report or the opinion:

Provided that the Commission shall not be bound by the report or the opinion given and may take such decision in the matter as it considers appropriate.

19. Procedure to be followed where any party does not appear

(1) If, on the date fixed for hearing, or any other date to which such hearing may be adjourned, the petitioner or any party does not appear, the Commission may either dismiss the petition for default when the petitioner or the person who moves the Commission for hearing is absent or proceed ex parte to hear and decide the petition.

(2) Where a petition is dismissed for default or decided ex parte, the person aggrieved may file an application for restoration within 30 days from the date of such dismissal or ex parte proceedings, as the case may be, for recall of the order passed. The Commission there upon may recall the order on such terms as it thinks fit, if it is satisfied that there was sufficient cause for non-appearance of the person.

20. Orders of the Commission

(1) The Commission shall pass orders on the petition and the Chairperson and the Members of the Commission, who heard the matter, shall sign the orders.

(2) The reasons given by the Commission in support of the orders, including those by the dissenting member, if any, shall form a part of the order and shall be available for inspection and supply of copies in accordance with these Regulations.

(3) The Commission shall have the powers to pass such interim orders in any proceeding, hearing or matter before the Commission, as it may consider appropriate.

(4) All orders passed and decisions taken by the Commission shall be certified under the signature of the Secretary or an officer empowered in this behalf by the Chairperson, and bear the seal of the Commission.

(5) All final orders of the Commission shall be communicated to the parties to the proceeding under the signature of the Secretary or an officer authorized in this behalf by the Chairperson or the Secretary.

21. Inspection of records and supply of certified copies

(1) The records of every proceeding shall be open, as of right, to inspection by the parties or their authorised representatives, at any time either during the proceeding or after the orders are passed, subject to payment of fees and compliance with such other terms as the Commission may direct.

(2) The records of every proceeding, except those parts which are directed by the Commission to be treated as confidential or privileged, shall be open to inspection by any person other than the parties to the petition either during the proceedings or after orders have been passed, subject to such person complying with such terms in regard to time, place and manner of inspection and payment of fees as the Commission may direct from time to time.

(3) Any person shall be entitled to obtain certified copies of the orders, decisions, directions as well as the pleadings and papers and other parts of the records of the Commission except those party which are directed by the Commission to be treated as confidential or privilaged, subject to payment of fees and compliance with such other terms as the Commission may direct.

CHAPTER III

ARBITRATION OF DISPUTES

22. Arbitration

(1) The arbitration of disputes which under the Central Act are within the jurisdiction of the Commission, may be commenced on an application made by any of the parties to the dispute.

(2) The Commission shall issue notice to the concerned parties to show cause as to why the disputes between them should not be adjudicated and settled through arbitration.

(3) The Commission may, after hearing the parties to whom notices have been issued, and if satisfied that no cause has been shown against the proposed arbitration, pass an order directing that the dispute be referred for adjudication and settlement through arbitration either by the Commission or by a person or persons to be nominated by the Commission.

(4) Every orbitral proceedings shall be held in accordance with the provisions of the Arbitration and Conciliation Act 1996.

23. Nomination of Arbitrators

(1) If the Commission decides to refer the matter to arbitration by a person or persons, the reference shall be:

a) to a sole arbitrator, if the parties to the dispute agree on the name of the sole arbitrator; or

b) in case of disagreement, to a sole arbitrator to be designated by the Commission to three persons, taking into account the nature of the dispute and the value involved. If the decision is to refer to three arbitrators, one will be nominated by each of the parties to the dispute and the third by the Commission. The third arbitrator shall act as the presiding arbitator.

Provided that if any of the parties fails to nominate an arbitrator or if any arbitrator nominated by the parties or the Commission, fails or neglects to act as arbitrator, the Commission may nominate any other person in his place.

(2) The Commission shall not nominate a person as arbitrator to whom any of the parties to the arbitration has a reasonable objection on grounds of possible bias or similar such reasons and the Commission is satisfied about its merits.

24. Procedure for adjudication, settlement and passing of awards

(1) In case the Commission acts as the arbitrator, the procedure to be followed shall be as far as possible the same as in the case of hearing before the Commission provided in Chapter II above.

(2) In case the Commission nominates an arbitrator or arbitrators to adjudicate and settle the disputes, such arbitrator or arbitrators may follow such procedure as the parties to the arbitration agree upon, failing which as they may consider appropriate, consistent with the principles of natural justice, giving fair opportunity to the parties. The arbitrator(s) shall follow specific directions issued by the Commission.

(3) The arbitrator or arbitrators, as the case may be shall, after hearing the parties pass an award giving reasons for the decision on all issues involved and forward the award with relevant documents to the Commission within such time as the Commission may direct.

(4) The award made by the Commission or the arbitrator(s), as the case may be, shall be an award under the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

25. Cost of arbitration and proceedings

The cost of the arbitration and proceedings before the Commission shall be borne by such parties and in such sums as the Commission may direct.

CHAPTER IV

LICENCE

26. Application for licence

Any person intending to engage in or engaged in, the business of transmission, distribution or trading in electricity in the State of Chhattisgarh, shall apply to the Commission for the grant of an appropriate licence in the form and manner and under such terms and conditions as may be prescribed by the Commission.

27. Exemption from Licence

(1)Unless otherwise directed by the Commission, the following classes of persons engaged in the supply of electricity in the State of Chhattisgarh shall be deemed to have been granted Distribution Licence for the purpose contained herein and subject to the fulfillment of the conditions contained in clauses (2) and (3):

(i) Persons who supply electricity generated by themselves and/or supplied to them by an authorised person, and distributed through a system owned by them for the purposes of an event or function for a period not exceeding one month.

(ii) Persons who supply electricity to residential colonies for use and occupation of their employees and/or for use and occupation of persons providing facilities and services to the employees, provided such person procures electricity from any Licensee or from any other source approved by the Commission and distributes the electricity within the residential colonies on no-profit basis.

(iii) Persons receiving electricity from a licensee and supplying to their own employees' colony including ancilliary facilities, on no profit basis.

(iv) Persons receiving electricity from a licensee at a single point in a residential or commercial complex and supplying the same to the same premises, on no profit basis.

(v) Such other persons as the Commission may by order notify, from time to time and subject to such terms and conditions as the Commission may direct.

(2) A licensee under clause (1) above shall:

(i) establish the electric line or works and restrict its activities to his area of operation;

(ii) comply with all applicable rules and regulations concerning the safety and security of operation.

(3) The terms and conditions of the grant of exemption by the Commission shall include the following :

(i) An exemption granted shall be published by the applicant in such manner as the Commission considers appropriate, for bringing it to the attention of the public;

(ii) A person exempted may be required to submit to the Commission within such time as the Commission may specify, a procedure for redressal of consumer's grievances and shall implement the same with such modifications as the Commission may direct;

(iii) Any person exempted shall pay an annual fee as decided by the Commission from time to time;

(iv) The Commission, while granting exemption, may impose any other conditions as it considers appropriate, including the terms for revocation or modification of the exemption; and

(v) Unless the Commission otherwise directs by general or special order, the persons exempted shall furnish to the Commission such information as may be required.

(4) If any dispute arises as to whether the person is entitled to undertake supply of electricity as a licensee under this Regulation, the decision thereon of the Commission shall be final.

CHAPTER V

GENERATING COMPANIES AND CAPTIVE GENERATING STATIONS

28. All generating companies and other persons who have established generating stations, including captive generating stations, in the State of Chhattisgarh and persons who desire to establish such generating stations including captive generating stations, shall furnish to the Commission the technical and other relevant details of the generating stations as per Appendix – 3A and 3B, as the case may be, within 30 days of notification of these Regulations or within 30 days of the commencement of generation of electricity at the station, whichever is later.

Provided that the captive generating stations of low tension consumers shall not be required to furnish such details unless otherwise specifically directed by the Commission.

CHAPTER VI

POWER PROCUREMENT AND PURCHASE

29 (1)A Distribution licensee shall purchase or procure electricity required for its business, in accordance with the provisions of the Central Act and the licence conditions in an economical and efficient manner and under a transparent power purchase and procurement process and generally based on the principles of least cost.

(2)The purchase of power by a Distribution licensee may be classified by the Commission as short term power purchase or long-term power purchase, on terms as may be decided by the Commission from time to time.

(3)The Commission may from time to time issue guidelines, practice directions and orders governing the short term purchases and long term purchases which a Distribution licensee may undertake for the purpose of its licensed business.

(4)Unless otherwise approved by the Commission, by a general or special order, a long-term power purchase or procurement by a Distribution licensee shall be done through a structured competitive procurement process approved by the Commission.

(5)The Distribution licensee shall file with the Commission the details in regard to the distribution system under his control and arrangement made with the Transmission licensee and others in the State to evacuate the electricity procured and to distribute the same in accordance with the power procurement plans approved by the Commission.

(6)The Commission may lay down in the guidelines and practice directions that may be issued by it from time to time, the details required to be given by the Distribution licensee in regard to resource planning, power purchase and procurement planning, planning for transmission and distribution system, competitive procurement process and other matters relating to purchase of power by the licensee.

(7)The Commission shall take into consideration while determining the tariff of a Distribution licensee as per this regulation and as per the Tariff Regulations may be framed by the Commission under Section 61 of the Central Act, the approval granted by the Commission to the Distribution licensees for power purchase and procurement and the actions taken by the licensee to comply with the terms and conditions contained therein.

CHAPTER VII

TARIFFS

30. Tariff application:

(1) The Commission shall determine the tariff for:

(a)supply of electricity by a generating company (other than owned or controlled by the Central Govt.) to a distribution licensee;

(b) transmission of electricity;

(c) wheeling of electricity; and

(d) retail sale of electricity;

all within the State of Chhattisgarh.

(2) Subject to the provisions of the Central Act all Transmission and Distribution licensees shall file with the Commission, in the format and in the manner as may be prescribed by the Commission, by 30th November every year, or by such other time as may be directed by the Commission, statements containing calculation of the expected aggregate revenue from charges under its currently approved tariff and the expected cost of providing services for in ensuing financial year.

(3)The Transmission or the Distribution licensees shall for such period as may be directed by the Commission, file applications containing proposals to deal with the gaps between the expected aggregate revenue at the then prevalent tariff and the expected cost of services including schemes for reduction in loss levels, other efficiency gains to be achieved, the revision in charges and changes in tariff structure for different categories of consumers.

(4)The Transmission or the Distribution licensee shall furnish to the Commission such additional information, particulars and documents as the Commission may require from time to time after such filing of revenue calculations and tariff proposals.

(5)The application under clause (1) shall be accompanied by such fees as the Commission may direct.

(6)The Commission shall separately lay down detailed procedure for fixation of tariff under the provisions of Part VII of the Central Act.

31. Multi-Year Tariff Principles

(1)The Commission may adopt multi-year tariff principles for matters relating to calculation of revenue requirements of the Transmission or the Distribution licensees and the tariff determination, including on aspects of investment, reduction of loss levels, other efficiency gains to be achieved, the revision in charges, changes in tariff structure, pass through of identified element of costs and such other matters as the Commission may by a general or special order direct.

(2)The Commission may, as and when considered appropriate, issue guidelines for filing statement of revenue calculations and tariff proposals for periods of more than one financial year.

32. Subsidy from State Government

(1)If the State Government at any time proposes any subsidy to any class or classes of consumers in the tariff determined by the Commission, the Commission upon receiving such proposal shall determine the amount to be paid as subsidy and the terms and conditions of such payment including the manner of payment of subsidy amounts by the State Government, to the person affected by the decision of the subsidy.

(2)While determining the tariff, the Commission shall take into account any subsidies, which the State Government has agreed to give to any class or classes of consumers.

(3)The tariff determined by the Commission shall be published duly taking into account such subsidy offered by the State Government as on the date of the decision of the Commission.

(4)Notwithstanding anything contained above, no direction of the State Government shall be operative if the payment is not made by the State Government in accordance with the provisions of Section 65 of the Central Act and, in the event of such directions being not operative, the amount of subsidy required to be paid by the State Government shall be added in the tariff to be charged by the Distribution licensees to the concerned class or classes of consumers.

(5)The Distribution licensee shall be required to furnish documents to the satisfaction of the Commission that the subsidy amount received by him from the State Government is duly accounted for and utilized for the purpose for which the subsidy is given.

33. Revision of Tariff

(1)No tariff or part of any tariff notified as above may ordinarily be amended, more frequently than once in any financial year, except in respect of any changes expressly permitted under the terms of any fuel surcharge formula as may be laid down by the Commission and such order may be issued as applicable to specific licensees

(2)The consequential orders which the Commission may issue to give effect to the subsidy the State Government may provide, shall not be construed as amendment of tariff notified. The Distribution licensee shall, however, give appropriate adjustments in the bills to be raised on the consumers for the subsidy amount in the manner the Commission may direct.

34. Generation Tariff

(1)The Commission may approve the tariff for the power to be purchased and procured by a Distribution licensee from a generating company as per Chapter VI of these Regulations and on such approval being given, the generating company shall be entitled to sell the energy to the Distribution licensee as per the tariff, terms and conditions contained in the Power Purchase Agreement as approved by the Commission.

(2)In cases other than those covered by clause (1) above, the generating company may file an application by 30th November every year to the Commission for determination of tariff for any of its generating station for sale of energy in the State giving details of the fixed and variable costs associated with the generation and sale of energy from the generating station.

(3)The application by the generating company under clause (2) may be filed for determination of the tariff for sale of energy to any specific purchaser including a Distribution licensee or to more than one such purchaser or generally for sale of energy from time to time to any person or persons including Distribution licensees.

(4)The Commission may determine the tariff for the sale of energy from the generating station of a generating company and the generating company may thereafter enter into agreements for the sale of energy on the tariff determined by the Commission subject to the terms and conditions laid down by the Commission.

Provided that the determination of the generation tariff shall not entitle the generating company to sell energy to the Distribution licensees on a long-term basis except in accordance with the Power Purchase Agreement or procurement to be finalised by the Distribution licensee as provided in Chapter VI of these Regulations and the terms and conditions which the Commission may lay down for the purpose from time to time.

Provided also that determination of the generation tariff shall not entitle the generating company to sell energy to the Distribution licensees on a short-term basis except in accordance with the Chapter VI of these regulations and on the terms and conditions as may be laid down by the Commission under that chapter.

35. Tariff for Electricity Trader

(1)The Commission may approve the tariff for the power purchase and procurement by the Distribution licensee from the Electricity trader as per Chapter VI of these Regulations and on such approval being given, the Electricity trader shall be entitled to sell energy to the Distribution licensee at the tariff, and as per terms and conditions contained in the Power Purchase Agreement, as approved by the Commission.

(2)The Commission may from time to time fix the trading margin of the Electricity trader for trading in electricity in the State .

(3) The determination of the trading margin for an Electricity trader, shall not entitle the Distribution licensees to purchase the electricity except as provided in Chapter VI of these Regulations and further such sale shall be subject to such further terms and conditions as the Commission may lay down for the purpose from time to time.

CHAPTER VIII

PERFORMANCE STANDARDS, CODES, SUPPLY REGULATIONS ETC.

36. (1)The Commission may from time to time direct the licensees and generating companies operating in the State to formulate or adopt such codes as the Commission considers appropriate for the proper and efficient conduct of the electricity sector and operation of the power systems in the State.

(2)The Commission may hold such consultations and proceedings as it considers appropriate on the codes formulated by the licensees and generating companies.

(3)The Commission may appoint consultants or experts to advise the Commission on the codes so formulated.

(4) The Commission may direct such modifications as it considers appropriate to the codes formulated by the licensees and generating companies.

(5) The licensees and generating companies shall implement codes approved by the Commission, consistent with the directions and orders made by the Commission from time to time.

(6) Without prejudice to the generality of the powers of the Commission in regard to the enforcement of standards of performance in operation of the power system, the codes to be formulated and implemented may include:

a. Grid Code;
b. Distribution (Planning and Operation) Code;
c. Distribution (Conditions of Supply) Code;
d. Consumer related codes including code of practice on payment of bills, standards and quality of service and fines and penalties for failure, consumer rights statement and consumer complaint handling procedures;
e. Safety and security code;
f. Transmission system planning and security standards;
g. Distribution system planning and security standards;
h. Transmission operating standards;
i. Distribution operating Standards; and
j. Codes on utilization of electricity and demand side management.

(7)The licensees and generating companies shall follow the existing standards, codes and conditions of supply till the codes, standards and conditions of supply are formulated and implemented in accordance with these Regulations.

CHAPTER IX

INVESTIGATION, INQUIRY, COLLECTION OF INFORMATION, ETC.

37. Collection of information

(1) The Commission may make such order as it thinks fit, in terms of the provisions of the Central Act, for collection of information, inquiry, investigation, entry, search, seizure

(2) Without prejudice to the generality of its powers in this regard:

i) The Commission may specially authorize any officer, to enter any building or place where the Commission has reason to believe that any document relating to the subject matter of the inquiry or adjudication under the Central Act, may be found, and to seize any such document or take extracts or copies there from.

ii) In exercise of the powers conferred on it by Section 128 of the Central Act, the Commission may, on being satisfied that a licensee or a generating company has failed to comply with any of the conditions of the licence or the provisions of the Central Act or the rules or regulations made thereunder, at any time, by order in writing, direct an Investigating Authority to investigate the affairs of the licensee or generating company and report to the Commission. For this the Commission may direct the minimum information to be maintained by the licensees and generating companies in their books. The Commission may also direct the manner in which such information shall be maintained and the checks and verifications to be done.

iii) The Commission may, at any time, direct the Secretary or any one or more officers or consultants or any other person as it considers appropriate, to study, investigate or furnish information with respect to any matter within the purview of the Commission.

iv) The Commission may for the above purpose give such other directions as it may deem fit and direct the time within which the report is to be submitted or information furnished.

v) The Commission may issue or authorize the Secretary or an officer to issue directions to any person to produce before it to almost the books of accounts to allow examination of such books and their retention by such officer, if considered necessary.

vi) The Commission may, for the purpose of collecting any information particulars or documents, which it considers necessary in connection with the discharge of its functions, issue such directions and follow any one or more of the methods provided for in the Central Act as the Commission considers appropriate.

vii) If any such report or information obtained appears to be insufficient or inadequate, the Commission or the Secretary or an officer authorised for the purpose, may give directions for further inquiry, report and furnishing of information.

viii) The Commission may direct that such incidental, consequential and supplemental matters which may be considered relevant in connection with the above, be attended to.

(3) In the discharge of the functions and powers under the Central Act and these Regulations, the Commission may direct a notice of inquiry to be issued and proceed with the matter in a manner provided in Chapter II of these Regulations.

(4) On receipt of the report of the Investigating Authority, and after giving an opportunity to the licensee or generating company, as the case may be, to make a representation in connection with the report, the Commission may make an order to require the licensee or the generating company to take such action in respect of any matter arising out of the report as it thinks fit.

(5) The Commission may, after giving reasonable notice to the licensee or the generating company, as the case may be, publish the report of the Investigating Authority or such portion(s) thereof as may appear to the Commission to be necessary.

(6) Every licensee and the generating company shall maintain in his books the information to the extent and in the manner contained in Appendix 4 to these Regulations to facilitate the functioning of the Investigating Authority. The Commission may from time to time add, vary or modify the contents of Appendix 4 as it considers appropriate.

(7) The Commission may, at any time, in any such enquiry or investigation, take the assistance of any institution, consultant, expert, engineer, chartered accountant, advocate, surveyor and such other technical and professional persons, as it considers necessary, and may determine the terms and conditions for engagement of such professionals.

(8) If the report or information obtained in terms of the above Regulations or any part thereof is proposed to be relied upon by the Commission in forming its opinion or view in any proceedings, the parties to the proceedings shall be given a reasonable opportunity for filing objections and making submissions on such report or information.

CHAPTER X

FINES AND CHARGES

38. Imposition of Fines and Charges

(1) The Commission may initiate proceedings, upon receiving a complaint or application from any affected person, or on its own, for imposition of fines and charges and award of compensation if it is of the view that the facts brought to its notice prima-facie constitute non-compliance or violation by a generating company, a licensee or other person of any provision or requirement of the Central Act or of any of the rules or regulations framed thereunder or of its directions or orders.

(2) If the Commission decides on the basis of the information received that there is a prima facie case to proceed in the matter, a case shall be registered and notice shall be issued to the person who is responsible for non-compliance or violation as above to show cause within a reasonable time as to why the Commission should not impose a fine or a charge on him. The notice shall state the substance of the allegation against such person with specific reference to the alleged non-compliance or violation.

(3) On the date fixed in the notice for appearance, the Commission shall explain to the person, who is prima facie responsible for non-compliance or violation, or his authorised representative, the substance of non-compliance or violation alleged to have been committed by such person.

(4) Where the person appears in response to the notice and admits the truth of the allegation by a memorandum in writing, the Commission shall record the response and may impose fines or charges at its discretion in accordance with the provisions of the Central Act, and the Regulations framed by the Commission for the purpose and may also award compensation to the affected person.

(5) If the person does not admit the alleged violation or non-compliance and seeks a hearing, the Commission shall proceed to hear the case in accordance with the provisions of the Central Act and these Regulations.

(6) If any person to whom a notice has been issued, fails, without reasonable cause, to appear before the Commission, on the date fixed for hearing or any subsequent date to which the proceeding may have been adjourned, the Commission may at its discretion proceed with the case ex parte.

(7) The Commission shall proceed to hear the complainant and take all such evidence, oral or documentary, or by way of affidavit, as may be produced in support of the case and take such evidence as may be produced by the person in his defence. Where the proceeding has been initiated upon information received by the Commission, it may direct any of its officers to act as complainant in the matter and present the evidence in the case.

(8) The Commission, at any stage of the proceeding, shall have the power to summon and enforce the attendance of any person who appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which in the opinion of the Commission appears to be material or relevant to the subject matter of the proceedings.

39. Process for levy and recovery of fines and charges

(1) If on the conclusion of any proceeding, the Commission is satisfied that any person is liable to fines or charges, it may, by order in writing, impose such fines or charges in accordance with the provisions of the Central Act, and the Regulation specified for the purpose and may also award compensation.

(2) While determining the quantum of fines or charges, the Commission shall, amongst others, take into account the following:

- (a) the nature and extent of non-compliance or violation,
- (b) wrongful gain or unfair advantage derived as a result of the non-compliance or violation,
- (c) loss or degree of harassment caused to any person(s) as a result of non-compliance or violation, and
- (d) the repetitive nature of the non-compliance or violation.

(3) While passing an order under this regulation, the Commission may award compensation to the complainant or affected party to be paid by the person found to have committed the non-compliance or violation.

(4) The Commission may direct the time within which the fines, charges or compensation should be paid by the concerned person,

(5) The Commission may designate an officer to collect the fines and charges.

40. Withdrawal and disposal of complaint

(1) If a complainant, at any time before a final order is passed in any proceedings, satisfies the Commission that there are sufficient grounds for permitting him to withdraw his complaint against the respondent named in the complaint, or if there be more than one respondent, against all or any of them, the Commission may permit the complainant to withdraw the same.

(2) If the Commission is of the opinion that it will not be appropriate to allow the withdrawal of the complaint, the Commission may make orders for the complaint being continued by such other person, in place of the complainant, and in such manner as the Commission may consider appropriate.

(3) Where the Commission is of the opinion that the continuance of the proceedings under this regulation is unnecessary or is an abuse of the process, it may at any stage, terminate the proceedings for reasons to be recorded in writing.

CHAPTER XI

APPLICATION OF CERTAIN PROVISIONS OF INDIAN PENAL CODE AND CRIMINAL PROCEDURE CODE

41. Applicability of provisions of Indian Penal Code and Criminal Procedure Code

(1) The proceedings before the Commission shall be deemed to be judicial proceedings in terms of Section 95 of the Central Act, and Commission shall be deemed to be a Civil Court as specified in the said Section read with applicable provisions of the Indian Penal Code and the Code of Criminal Procedure, 1973.

(2) The extracts of the relevant provisions of the Indian Penal Code and Criminal Procedure Code are contained in Appendix 5 to these Regulations.

CHAPTER XII

CONSUMER PROTECTION AND COMPLAINTS HANDLING PROCEDURE

42. Recognition of Consumer Association and consumer interest

(1) Any association or body corporate representing any consumer group, which is desirous of being recognized, may make an application to the Commission for such recognition and the Commission may after holding such enquiry as considered appropriate, recognize the association, or body corporate by issuance of a certificate of recognition.

(2) The Commission my permit any recognized association, forum or other bodies corporate or any group of consumers to participate in any proceedings before the Commission and permit them to make such representation or participate in the proceedings in such manner as the Commission considers appropriate.

(3) For the sake of timely completion of proceedings, the Commission may direct grouping of associations/forums referred to in clause (1) above, so that they can make collective representation.

(4) The Commission may appoint any officer or any other person to represent consumers' interest, if considered necessary.

(5) The Commission may, for the purpose of clauses (1) or (3) above direct payment of such fees, costs and expense by such of the parties in the proceedings, as it may consider appropriate.

CHAPTER XIII

MISCELLANEOUS

43. Review of the decisions, directions and orders

(1) The Commission may on its own motion, or on the application of any person or parties concerned, review any decision, directions or orders within 90 days of any decision, direction or order and pass such orders as it considers appropriate.

(2) An application for such review shall be filed in the same manner as a petition under Chapter II of these Regulations.

(3) The application shall be accompanied by such fee, as may be laid down by the Commission.

44. Continuance of proceedings after death, etc.

(1) Where any party to the proceedings dies or is adjudged as insolvent, or in the case of a Company if it goes under liquidation/ winding up, the proceedings shall continue with the successor(s)-in-interest of the party concerned.

(2) The Commission may, for reasons to be recorded, treat the proceedings as abated and dispense with the need to bring the successor(s)-in-interest on record.

(3) In case any person wishes to bring on record the successor(s)-in-interest, the application for the purpose shall be filed within 90 days from the event requiring the successors-in-interest to come on record.

Provided that the Commission may, if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing the application within this time limit, condone the delay subject to such terms and conditions as the Commission may consider appropriate.

(4) If the person fails to bring on record the successor(s)-in-interest within the time allowed under clause (3) or in the event of the application for condoning the delay in bringing on record the successor(s)-in-interest being not accepted, the proceedings against the deceased person shall abate,

45. Proceedings to be open to public

The proceedings before the Commission shall be open to the public subject to availability of sitting accommodation.

Provided that the Commission may, if it thinks fit, and for reasons to be recorded in writing, order at any stage of any proceedings that the public generally or any particular person or group of persons in particular, shall not have access to or be or remain in, the room or building used by the Commission for the purpose of conduct of its proceeding.

46. Publication of petition

(1) Where any application, petition, or other matter is required to be published under the Central Act, or these Regulations or as per the directions of the Commission, it shall, unless the Commission otherwise orders, be advertised within such time as the Commission may direct, and in the absence of any specific direction to the contrary not less than 5 days before the date fixed for hearing. Unless otherwise directed by the Commission, such publication shall be done in two newspapers one in English language and one in Hindi Language having wide circulation in the area concerned.

(2) The advertisement shall be approved by the officer of the Commission designated for the purpose before its publication.

47. Confidentiality

(1) The records of the Commission, except for those parts which, for reasons to be recorded by the Commission, are treated as confidential or privileged, shall be open to inspection by all, subject to payment of fees and compliance with such other terms as the Commission may direct.

(2) The Commission may, on such terms and conditions as it considers appropriate, provide for the supply of certified copies of the documents and papers available with the Commission to any person.

(3) The Commission may, by order, direct that any information, documents and other papers and materials produced before it or any of its officers, consultants, representatives or, which may otherwise come into their possession or custody, shall be confidential or privileged and shall not be available for inspection or supply of copies. The Commission may also direct that such document, papers or materials shall not be used in any manner except as specifically authorized by the Commission.

48. Issue of orders and practice directions

Subject to the provisions of the Central Act, and these Regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions in regard to the implementation of the Regulations and procedure to be followed on various matters which the Commission has been empowered by these Regulations to lay down.

49. Inherent power of the Commission

(1) Nothing in these regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary for meeting the ends of justice, or to prevent the abuse of the process of the Commission.

(2) Nothing shall restrict the inherent power of the Commission from adopting a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission deems it necessary or expedient, in view of the special circumstances of a matter or class of matters, and for reasons to be recorded in writing.

(3) Nothing in these regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission from dealing with any matter or exercise any power under the Central Act for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

50. General power to amend

The Commission may, at any time amend any defect or error in any proceedings before it.

51. Power to dispense with the requirement of the Regulations

The Commission may, for reasons to be recorded in writing and with notice to the affected parties, dispense with the requirements of any of the Regulations in a specific case or cases subject to such terms and conditions as it considers appropriate.

52. Extension or abridgment of time allowed

Subject to the provisions of the Central Act, the time allowed by these Regulations or by order of the Commission for doing any act, may be extended (whether it has already expired or not) or abridged for sufficient reasons by order of the Commission.

53. Effect of non-compliance

The failure to comply with any requirement of these Regulations shall not invalidate any proceeding merely by reason of such failure unless the Commission is of the view that such failure has resulted in miscarriage of justice.

54. Costs

(1). Subject to such conditions and limitations as may be directed by the Commission, the cost of all proceedings shall be awarded at the discretion of the Commission and the Commission shall have full power to determine by whom or out of what funds and to what extent such costs are to be paid.

(2) The costs shall be paid within 30 days from the date of the order or within such time as the Commission may, by order, direct. The order of the Commission awarding costs shall be executed in the same manner as the decree/order of a Civil Court.

55. Enforcement of orders passed by the Commission

The Secretary shall ensure enforcement and compliance of the orders passed by the Commission, by the persons concerned, in accordance with the provisions of the Central Act and these regulations.

56. Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Commission may, by general or special order, do anything not being inconsistent with the provisions of the Central Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

Note:-In case of any diffrence in the interpretation or understanding of the provisions of the Hindi version of these regulations with those of the English version (the original version), the latter will prevail and in case of any dispute in this regard, the decision of the Commission shall be final and binding.

By order of the Commission

By order of the Commission,
AJAY SRIVASTAVA, Deputy Secretary.

APPENDIX - 1

(See Regulation 11)

General Heading for Proceedings

BEFORE THE CHHATTISGARH STATE ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, RAIPUR

FILE NO.

CASE NO.

(To be filled by the Office)

Name and Address of applicant(s) / petitioner(s)
(Including father's name, applicant/petitioner's age of applicant, occupation etc. In case of a company, society, or any other body corporate, capacity of the signatory by which he /she is authorized to sign)

V/s

Name and Address of non-applicant(s) / respondent(s)
(If any, including father's name, non-applicant / respondent's approximate age, occupation etc. In case of a company, society or any other body corporate name and/or designation of the representative)

Subject Matter:-
Gist of the petition in one or two lines such as:-
- Petition for determination of tariff for distribution of electricity / transmission of electricity.
- Application for distribution license in Raipur district.

APPENDIX- 2

(See Regulation 12)

BEFORE THE CHHATTISGARH STATE ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION RAIPUR

FILE No.

CASE NO.

(To be filled by the Office)

Name of applicant/petitioner (in case of more than one applicant/petitioner only first applicant/petitioner's name is to be written) and others

V/S

Name of non-applicant/respondent (in case of more then one non-applicant/respondent only first non-applicant/respondent's name is to be written) and others

Affidavit verifying the petition/reply/application

I,.......... (name of deponent) ...., son of .... aged .... residing at .... do solemnly affirm and say as follows :

1. I am a Director / Secretary / .... of.. Ltd., the applicant/ petitioner in the above matter and am duly authorized by the said applicant/ petitioner to make this affidavit on its behalf.

(**Note:** For the cases where the petitioner is a Company or a body corporate.)

1. The statements made in paragraphs from .... to..................... of the petition herein now shown to me and marked with the letter 'A' are true to my knowledge.
2. The statements made in paragraphs from .... to...................... are based on the information received by me and I believe them to be true.

   (Source of information is also to be disclosed)

Deponent

Verification:

I, (Name of deponent) .... the deponent do hereby verify that the contents of paragraph 1 to ...... above in the affidavit are true to my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed there from

Verified at .... on the day of ....

Deponent

Appendix-3A
(See Regulation 28)
FORMAT FOR FURNISHING TECHNICAL DETAILS BY THERMAL GENERATING COMPANIES

FORM-A
Plant Characteristics

Name of the Company ____________________

Name of the Power Station ____________________

Basic characteristics of the plant1 ____________________

Special Features of the Plant

Site Specific Features2 ____________________

Special Technological Features3 ____________________

Environmental Regulation related features4 ____________________

Any other special features ____________________

Fuel Details	Primary Fuel **Module number or Unit number**			Secondary Fuel		Alternate Fuels
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) & so on

Installed Capacity (IC)

Date of Commercial Operation (COD)

Type of cooling system6

Type of Boiler Feed Pump7

1. Describe the basic characteristics of the plant e.g. in the case of a coal based plant whether it is a conventional steam generator or circulating fludized bed combustion generator or sub-critical once through steam generator etc.
2. Any site specific feature such as Merry-Go-Round, Vicinity to sea, Intake /makeup water systems etc. scrubbers etc. Specify all such features.
3. Any Special Technological feature like Advanced class FA technology in Gas Turbines, etc.
4. Environmental regulation related features like FGD, ESP etc.
5. Coal or natural gas or naptha or lignite etc.
6. Closed circuit cooling, once through cooling, sea cooling etc.
7. Motor driven, Steam turbine driven etc.

PETITIONER

Appendix-3B
(See Regulation 28)

FORMAT FOR FUNISHING TECHICAL DETAILS BY HYDRO GENERATING COMPANIES

FORM

(Details of COD, Type of hydro station, Capacity Index, Primary energy rate)

NAME OF COMPANY:

NAME OF POWER STATION :

Sl. No.	Description	As per CERC norms for tariff period 2004-05 to 2008-09
1	Installed Capacity MW	
2	Free power to home state %	
3	Date of commercial operation	
	Unit-1	
	Unit-2	
	Unit-3	
4	Type of Station	
	a) Surface/underground	
	b) Purely ROR/ Pondage/Storage	
	c) Peaking/non-peaking	
	d) No. of hours of peaking	
	e) Overload capacity(MW) & period	
5	Type of excitation	
	a) Rotaing exciters on generator	
	b) Static excitation	
6	Design Energy (Annual)[1] Gwh	
7	Auxiliary Consumption %	
8	Transformation losses %	
9	Primary Energy Rate paise/Kwh	
10	Primary Energy Charge Rs. in crore	
11	Capacity Index Normative value	

[1] Monthwise Design energy figures to be given separately with the petition.

PETITIONER

SALIENT FEATURES OF HYDROELECTRIC PROJECT

NAME OF COMPANY:

NAME OF POWER STATION:

1. Location
State/Distt.
River

2. Diversion Tunnel
Size, shape
Length
3. Dam
Type
Maximum dam height

4. Spillway
Type
Crest level of spillway

5. Reservoir
Full Reservior Level (FRL)
Minimum Draw Down Level (MDDL)
Live storage (MCM)

6. Desilting Arrangement
Type
Number and Size
Particle size to be removed(mm)
7. Head Race Tunnel
Size and type
Length
Design discharge(Cumecs)
8. Surge Shaft
Type
Diameter
Height
9. Penstock/Pressure shafts
Type
Diameter & Length
10. Power House
Type
Installed capacity (No of units x MW)
Peaking capacity during lean period (MW)
Type of turbine
Rated Head(M)
Rated Discharge(Cumecs)
11. Tail Race Tunnel
Diameter, shape
Length
Minimum tail water level

12. Switchyard

Type of Switch gear

No. of generator bays

No. of Bus coupler bays

No. of line bays

Note: Indicate the limitation on generation during specific time period on account of restriction(s) on

water use due to irrigation, drinking water, industrial, environmental considerations etc.

Appendix - 4

Information to be maintained by the licensee and the generating company

(See Regulation - 42)

Information / Documents to be maintained by the Generating Company and Transmission Licensees

Sl. No. Documents

1. Plant Characteristics
2. Details of Foreign loans
3. Abstract of Admitted Capital Cost for the existing Projects
4. Abstract of Capital Cost Estimates and Schedule of Commissioning for the New projects
5. Break-up of Capital Cost for Coal/Lignite based projects
6. Break-up of Capital Cost for Gas/Liquid fuel based Projects
7. Break-up of Construction/Supply/Service packages
8. Financial Package up to COD
9. Details of Project Specific Loans
10. Details of Allocation of corporate loans to various projects
11. Statement of Additional Capitalization after COD
12. Financing of Additional Capitalization
13. Statement of Depreciation
14. Calculation of Depreciation Rate
15. Calculation of Interest on Actual Loans1
16. Calculation of Advance Against Depreciation (AAD)
17. Calculation of interest on Working Capital
18. Draw Down Schedule for Calculation of IDC & Financing charges
19. Details/Information to be Submitted in respect of Fuel for Computation of Energy Charges1

Other Information/Documents

Sl.No. Information/Document

1. Certificate of incorporation, Certificate for Commencement of Business, Memorandum of association, & Articles of Association (For New Station setup by a company making tariff application for the first time to OERC)
2. Station wise and Corporate audited Balance Sheet and Profit & Loss Accounts with all the Schedules & annexures on COD of the Station for the new station & for the relevant years.
3. Copies of relevant loan Agreements

4. Copies of the approval of Competent Authority for the Capital Cost and Financial package.
5. Copies of the Equity participation agreements and necessary approval for the foreign equity.
6. Copies of the BPSA/PPA with the beneficiaries, if any
7. Detailed note giving reasons of time and cost over run, if applicable.
8. Any other relevant information, (Please specify)

Note: Electronic copy in the form of CD/Floppy disc shall also be furnished.

INFORMATION/DOCUMENTS TO BE MAINTAINED BY DISTCOS
Sl.No. Subject

1. Consumer commercial Information
2. Information on Block Capital
3. Subsidy and Grants
4. Balance Sheet
5. Profit & Loss Account

Note: Detailed formats in respect of aforesaid items will be provided by the Commission to the Licensees/Generating companies from time to time.

APPENDIX 5

Applicability of provisions of Indian Penal Code and Criminal Procedure Code

(See Regulation 46)

(i) **Section 193. (of Indian Penal Code)**

Punishment for false evidence:-

Whoever intentionally gives false evidence in any stage of a judicial proceeding, or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of judicial proceeding, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine;

And whoever intentionally gives or fabricates false evidence in any other case, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

Explanation 1. A trial before a Court-martial is a judicial proceeding.

Explanation 2. An investigation directed by law preliminary to a proceeding before a Court of Justice, is a stage of a judicial proceeding, though that investigation may not take place before a Court of Justice.

(ii) **Section 219. (of Indian Penal Code)**

Public servant in judicial proceeding corruptly making report, etc., contrary to law:-

Whoever, being a public servant, corruptly or maliciously makes or pronounces in any stage of a judicial proceeding, any report, order, verdict, or decision which he knows to be contrary to law, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both.

(iii) **Section 228. (of Indian Penal Code)**

Intentional insult or interruption to public servant sitting in judicial proceeding:-

Whoever intentionally offers any insult, or causes any interruption to any public servant, while such public servant is sitting in any stage of a judicial proceeding, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

(iv) **Section 345. (of Code of Criminal Procedure)**

Procedure in certain cases of contempt:-

(a) When any such offence as is described in Section 175, Section 178, Section 179, Section 180 or Section 228 of the Indian Penal Code (45 of 1860) is committed in the view or presence of any civil, criminal or revenue Court, the Court may cause the offender to be detained in custody and may, at any time before the rising of the Court on the same day, take cognizance of the offence and, after giving the offender a reasonable opportunity of showing cause why the should not be punished under this Section, sentence the offender to fine not exceeding two hundred rupees, and, in default of payment of fine, to simple imprisonment for a term which may extend to one month, unless such fine be sooner paid.

(b) In every such case the Commission shall record the facts constituting the offence, with the statement (if any) made by the offender, as well as the finding and sentence.

(c) If the offence is under Section 228 of the Indian Penal Code (45 of 1860), the record shall show the nature and stage of the judicial proceeding in which the Court interrupted or insulted was sitting, and the nature of the interruption or insult.

(v) **Section 346. (of Code of Criminal Procedure)**

Procedure where Court considers that case should not be dealt with under Section 345:-

(a) If the Court in any case considers that a person accused of any of the offences referred to in Section 345 and committed in its view of presence should be imprisoned otherwise than in default of payment of fine, or that a fine exceeding two hundred rupees should be imposed upon him, or such Court is for any other reason of opinion that the

case should not be disposed of under Section 345, such Court, after recording the facts constituting the offence and the statement of the accused as hereinbefore provided, may forward the case to a Magistrate having jurisdiction to try the same, and may require security to be given for the appearance of such person before such Magistrate, or if sufficient security is not given shall forward such person in custody to such Magistrate.

Appendix - 7

Applicability of provisions of Indian Penal Code and Criminal Procedure Code
(See Regulation 69)

(i) **Section 193. (of Indian Penal code)**
Punishment for false evidence:-
Whoever intentionally gives false evidence in any stage of a judicial proceeding, or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of judicial proceeding, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine;
And whoever intentionally gives or fabricates false evidence in any other Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.
Explanation 1. A trial before a Court-martial is a judicial proceeding
Explanation 2. An investigation directed by law preliminary to a proceeding before a Court of Justice, is a stage of a judicial proceeding, though that investigation may not take place before a Court of Justice.

(ii) **Section 219. (of Indian Penal Code)**
Public servant in judicial proceeding corruptly making report, etc., contrary to law:-
Whoever, being a public servant, corruptly or maliciously makes or pronounces in any stage of a judicial proceeding any report, order, verdict, or decision which he knows to be contrary to law, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both.

(iii) **Section 228. (of Indian Penal Code)**
Intentional insult or interruption to public servant sitting in judicial proceeding:-

Notes:

1. Forms given in Appendix 1 to 4 are variable as per the subject matter/nature and status of applicant/petitioner.
2. If any variation found between the form and the provisions of these regulations, the provisions of the regulations shall prevail over the form.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित --2005.